नियमावली

अध्यापक शिक्षा विभाग के पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

आवेदन-पत्र तथा प्रवेश-निर्देशिका

सत्र : 2012-13

नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें। दिए गए नियम स्वीकार हों, तभी आवेदन–पत्र भरें।
नियमों में कोई भी छूट किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जाएगी।

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

दिल्ली–हैदराबाद–गुवाहाटी–शिलांग–मैसूर–दीमापुर–भुवनेश्वर–अहमदाबाद

© केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

मूल्य : ₹ 200.00

केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा–282 005 द्वारा प्रकाशित और
मैसर्स दि प्रिन्ट्स होम, बेलनगंज, आगरा–4 से मुद्रित।

विषय-सूची

क्रं.सं.		पृष्ठ सं.
1.	संस्थान परिचय	05
2.	संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग में चलने वाले पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं उनका सामान्य विवरण	10
3.	पाठ्यक्रमों की रूपरेखा	12
	(1) हिंदी शिक्षण निष्णात (आगरा मात्र)	
	(2) हिंदी शिक्षण पारंगत (आगरा एवं संबद्ध महाविद्यालय–मैसूर, गुवाहाटी, आइजोल)	
	(3) हिंदी शिक्षण प्रवीण (आगरा, दीमापुर)	
	(4) त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा (दो वर्ष दीमापुर में, तीसरे वर्ष आगरा में)	
	(5) द्विवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा (आइजोल)	
	(6) विशेष गहन हिंदी शिक्षक डिप्लोमा (दीमापुर)	
4.	प्रवेश नियम	15
5.	परीक्षा नियम	17
6.	संस्थान नियम	18
7.	छात्रावास नियम	20
8.	चिकित्सा नियम	22
9.	पुस्तकालय नियम	23
10.	आवेदकों के लिए आवश्यक सूचनाएँ	24
11.	प्रवेश–परीक्षा के प्रश्न–पत्रों का प्रारूप	25
12.	प्रवेश आवेदन–पत्र (हिंदी में)	53
13.	प्रवेश–आवेदन–पत्र (अंग्रेजी में)	55
14.	प्रवेश परीक्षा–पत्र	57

सरस्वती वंदना

वर दे, वीणावादिनि वर दे!
प्रिय स्वतंत्र–रव, अमृत–मंत्र नव,
भारत में भर दे!

काट अंध–उर के बंधन–स्तर,
बहा जननि ज्योतिर्मय निर्झर;
कलुष–भेद–तम हर, प्रकाश भर,
जगमग जग कर दे!

नव गति, नव लय, ताल–छंद नव,
नवल कंठ, नव जलद–मंद्र–रव;
नव नभ के नव विहग वृंद को,
नव पर, नव स्वर दे!

1– संस्थान–परिचय

संविधान के अनुच्छेद 351 में दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार राष्ट्र की संपर्क भाषा/संघ की राजभाषा हिंदी को अपनी विविध भूमिकाएँ निभाने में समर्थ और सक्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने 15 मार्च, 1960 को एक संकल्प द्वारा केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा नामक एक स्वायत्तशासी संस्था की स्थापना की। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा ने उक्त संवैधानिक निर्देश के अनुपालन हेतु शैक्षिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक स्तरों पर सुनियोजित अनुसंधान द्वारा औपचारिक, सहऔपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में हिंदी शिक्षण–प्रशिक्षण, लक्ष्य भाषा एवं स्रोत भाषा के रूप में इसके विश्लेषण, सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन तथा विभिन्न भाषा–भाषी हिंदी पढ़ने वालों के लिए प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री निर्माण के कार्यक्रम को प्रारंभ किया। **मंडल ने अपनी शैक्षिक गतिविधियों के संचालन हेतु केंद्रीय हिंदी शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की तथा इसके कार्यक्षेत्र की विस्तृति एवं विशिष्टता को देखते हुए 21 अक्टूबर, 1963 से इस महाविद्यालय का नाम केंद्रीय हिंदी संस्थान कर दिया।** आरंभिक दिनों में संस्थान का प्रमुख कार्य अहिंदी भाषी क्षेत्रों के महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ाने के लिए योग्य, सक्षम एवं प्रभावशाली हिंदी अध्यापकों को प्रशिक्षित करना था। आगे चलकर सरकारी आदेशों के अनुपालन हेतु एवं विभिन्न प्रकार की शैक्षिक, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के अनुरोध पर संस्थान ने हिंदी के शैक्षिक प्रचार–प्रसार और विकास को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य क्षेत्रों और प्रकार्यों को और विस्तृत किया। संस्थान ने शिक्षणपरक अनुसंधान, हिंदी अध्यापक प्रशिक्षणपरक अनुसंधान, हिंदी भाषापरक शोध, भाषाविज्ञान तथा तुलनात्मक साहित्य संबंधी शोध आदि विषयों में वैज्ञानिक अनुसंधानपरक कार्यक्रमों को संचालित करना तथा विभिन्न सरकारी निकायों की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों में मार्गदर्शन आदि करना शुरू किया। इसके साथ ही साथ विविध स्तर के पाठ्यक्रमों, शैक्षिक सामग्री, अध्यापक निर्देशिकाएँ इत्यादि तैयार करने का कार्य भी प्रारंभ हुआ। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी शिक्षण हेतु आवश्यक पाठ्यक्रम बनाने एवं कार्यक्रम संचालित करने का दायित्व भी सरकार ने संस्थान को सौंपा, जो आज एक स्वतंत्र विभाग के अंतर्गत व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है। इन सब कार्यों से संस्थान का कार्यक्षेत्र व्यापक होता गया। उसे देश में ही नहीं, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति और मान्यता प्राप्त हुई।

संस्थान के प्रमुख शैक्षिक पाठ्यक्रम निम्नलिखित हैं :

शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1. **हिंदी अध्यापक शिक्षापरक पाठ्यक्रम**—हिंदी के अध्ययन–अध्यापन का स्तर उन्नत करने के लिए, अध्यापकों तथा अध्यापक प्रशिक्षकों को अध्यापक शिक्षा के विषयों के अतिरिक्त अन्य भाषा शिक्षण की अधुनातन विधियों और तकनीकों तथा हिंदी भाषा और साहित्य शिक्षण की प्रविधियों का ज्ञान कराने के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा माध्यम से निम्नलिखित नियमित एकवर्षीय प्रशैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं।

   'क' राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम

   (i) **हिंदी शिक्षण निष्णात**—एम. एड. स्तरीय पाठ्यक्रम

   (ii) **हिंदी शिक्षण पारंगत**—बी. एड. स्तरीय पाठ्यक्रम

   (iii) **हिंदी शिक्षण प्रवीण**—बी.टी.सी. स्तरीय पाठ्यक्रम

'ख' प्रांतीय सरकारों की माँग पर चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम

(iv) **त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा**—प्रथम एवं द्वितीय वर्ष का शिक्षणपरक कार्यक्रम हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान, दीमापुर (नागालैंड) में चलाया जाता है। तीसरे वर्ष छात्र अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण हेतु आगरा आते हैं और इस डिप्लोमा को उत्तीर्ण करने के बाद नागालैंड में हिंदी शिक्षक पद पर नियुक्ति पाते हैं।

(v) **द्विवर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा**—मिजोरम हिंदी अध्यापक शिक्षा संस्थान (MHTTI) आइजोल द्वारा प्रांतीय स्तर पर हिंदी अध्यापकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चलाया जाता है।

(vi) **विशेष गहन पाठ्यक्रम**—उच्च शिक्षा प्राप्त सेवारत ऐसे हिंदी अध्यापक जिनके पास हिंदी विषय में कोई उपाधि नहीं होती किंतु हिंदी में व्यावहारिक दक्षता होने के कारण हिंदी अध्यापक पद पर राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया गया होता है, इस पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्ति के आधार पर आते हैं।

2. **विदेशों में हिंदी प्रचार–प्रसार**—भारत सरकार की विदेशों में हिंदी प्रचार–प्रसार योजना एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान के अंतर्गत चुने गए विदेशी छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं :

(i) हिंदी भाषा दक्षता प्रमाण पत्र

(ii) हिंदी भाषा दक्षता डिप्लोमा

(iii) हिंदी भाषा दक्षता उच्च डिप्लोमा

(iv) स्नातकोत्तर हिंदी डिप्लोमा

3. **हिंदी दक्षता पाठ्यक्रम**—इच्छुक कर्मचारियों, अधिकारियों आदि के लिए अल्प अवधि के इस पाठ्यक्रम को अहिंदी भाषी प्रदेश के केंद्रों में चलाने की कार्रवाई की जा रही है।

4. **सांध्यकालीन पाठ्यक्रम (स्व–वित्तपोषित)**

(i) अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार डिप्लोमा

(ii) जनसंचार एवं पत्रकारिता डिप्लोमा

(iii) अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान डिप्लोमा

(iv) रोजगारोन्मुख हिंदी पाठ्यक्रम

संस्थान के अन्य कार्यक्रम

1. **अनुसंधानपरक कार्यक्रम**—केंद्रीय हिंदी संस्थान का एक प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों को निरंतर अग्रसर करना है।

(i) **हिंदी शिक्षण की अधुनातन प्रविधियों के विकास के लिए शोध**

(ii) **हिंदी भाषा और अन्य भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी अध्ययन**

(iii) **हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में आधारभूत एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान**

(iv) **हिंदी भाषा के आधुनिकीकरण और भाषा–प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से अनुसंधान**

(v) **हिंदी का समाज–भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन**

(vi) **प्रयोजनपरक हिंदी से संबंधित शोधकार्य**

उपर्युक्त अनुसंधानपरक कार्यों के दौरान द्वितीय भाषा एवं विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण सामग्री का निर्माण कार्य भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

2. **विशिष्ट व्यवहार क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का शिक्षण**—केंद्र सरकार के अधिकारियों, बैंक कार्मिकों आदि को हिंदी भाषा के व्यवहार में दक्ष बनाने के लिए सामग्री निर्माण तथा राजभाषा के प्राध्यापकों एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण।

3. **प्रयोजनमूलक हिंदी का अनुसंधानमूलक सर्वेक्षण**—मानक हिंदी के प्रयोजनमूलक भाषा–भेदों, वैज्ञानिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, व्यापार–वाणिज्य की हिंदी, पत्रकारिता की हिंदी का सर्वेक्षण द्वारा स्वरूप निर्धारण और उनसे संबद्ध शैलियों के विश्लेषण से प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास की योजनाओं को अनुसंधानपरक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना।

4. **शिक्षण सामग्री निर्माण और भाषा विकास**—केंद्रीय हिंदी संस्थान शिक्षक–प्रशिक्षण और अनुसंधान के अलावा हिंदीतर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए हिंदी शिक्षण हेतु उपयोगी पाठ्यपुस्तकों, द्विभाषी कोशों, व्याकरणों का निर्माण आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए करता है।

   (i) **हिंदीतर राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों के विद्यालयों के लिए हिंदी शिक्षण सामग्री निर्माण**

   (ii) **हिंदीतर राज्यों के लिए हिंदी का व्यतिरेकी व्याकरण एवं द्विभाषी अध्येता कोशों का निर्माण**

   (iii) **विदेशी भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण पाठ्यपुस्तकों का निर्माण**

   (iv) **कंप्यूटर साधित हिंदी भाषा शिक्षण सामग्री का निर्माण**

   (v) **दृश्य–श्रव्य माध्यमों से हिंदी शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री का निर्माण**

   (vi) **हिंदी तथा हिंदीतर भारतीय भाषाओं के द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दकोशों और विश्वकोश का निर्माण**

5. **परामर्श सेवा**—विभिन्न स्तरों पर हिंदी शिक्षण के स्तर को उन्नत करने के प्रयत्नों में विभिन्न सरकारी संस्थाओं, शैक्षिक उपक्रमों एवं शिक्षणेतर निकायों को विशेषज्ञतापूर्ण परामर्श दिया जाता है।

संस्थान के विस्तारपरक कार्यक्रम

(i) संस्थान के मुख्यालय सहित विभिन्न केंद्रों में संपर्क, समन्वयन और वैचारिक आदान–प्रदान करने के उद्देश्य से **विशेष व्याख्यान** एवं **कार्यशालाओं** का आयोजन किया जाता है।

(ii) संस्थान के विभिन्न केंद्रों और मुख्यालय में जनसंपर्क, अखिल भारतीय संवाद एवं व्यापक भाषाई सांस्कृतिक आदान–प्रदान के उद्देश्य से प्रतिवर्ष (i) **भारतीय प्रकाशन** की समस्याओं (ii) **लघु पत्रिकाओं** की समस्याओं (iii) **कला और साहित्य के अंतर्संबंध** (iv) **स्त्री विमर्श** और (v) **दलित, पिछड़े वर्गों एवं आदिवासी साहित्य** की समस्याओं पर पाँच **विकास संगोष्ठियों** का आयोजन करता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष (i) **भाषाविज्ञान** (ii) **सूचना प्रौद्योगिकी** (iii) **हिंदी शिक्षण** (iv) **मीडिया** एवं (v) **साहित्य** के विषयों पर विभिन्न केंद्रों में पाँच राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जाता है।

(iii) विद्यार्थियों के लिए अखिल भारतीय **हिंदी वाद–विवाद**, **निबन्ध लेखन एवं कविता आवृत्ति** प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

(iv) विद्यार्थियों के लिए **सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं** का आयोजन–हिंदी काव्य आवृत्ति, काव्य संगीत, प्रादेशिक एवं विश्व के विभिन्न देशों के लोकगीत–संगीत, काव्य–आधारित नृत्य एवं लघु नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।

संस्थान के प्रकाशन

संस्थान द्‌वारा हिंदी भाषा एवं साहित्य, भाषाविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी अध्ययन, भाषा एवं साहित्य शिक्षण, कोश विज्ञान आदि से संबंधित विभिन्न विषयों पर **उपयोगी पुस्तकों का प्रकाशन** किया गया है। अब तक 150 से अधिक पुस्तकें संस्थान द्‌वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। साथ ही विभिन्न स्तरों एवं अनेक प्रयोजनों की पाठ्‌यपुस्तकों, सहायक पुस्तकों तथा अध्यापक निर्देशिकाओं का भी प्रकाशन किया गया है।

संस्थान द्‌वारा निम्नलिखित **पत्रिकाओं का प्रकाशन** हो रहा है–

(i) **गवेषणा**–अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, हिंदी शिक्षण और साहित्य की त्रैमासिक शोध पत्रिका (अब तक 99 अंक प्रकाशित हो चुके हैं)।

(ii) **मीडिया**–दिल्ली केंद्र की त्रैमासिक पत्रिका (2006 से प्रकाशन)।

(iii) **समन्वय पूर्वोत्तर**–गुवाहाटी, शिलांग एवं दीमापुर केंद्रों की संयुक्त अर्धवार्षिक पत्रिका (2007 से प्रकाशन)।

(iv) **समन्वय दक्षिणायन**–हैदराबाद और मैसूर केंद्रों की संयुक्त वार्षिक पत्रिका (प्रस्तावित)।

संस्थान का त्रैमासिक बुलेटिन है **संस्थान समाचार।**

उपर्युक्त के अलावा विभिन्न विभागों के विद्‌यार्थियों की पत्रिकाएँ **हिंदी विश्व भारती** और **समन्वय** का प्रकाशन वार्षिक रूप से किया जाता है।

संस्थान की प्रमुख परियोजनाएँ

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा के **अनुसंधान एवं भाषा विकास विभाग** तथा **सूचना और भाषा प्रौद्‌योगिकी विभाग** द्‌वारा संचालित कुछ विशेष परियोजनाएँ इस प्रकार हैं :

1. **हिंदी कॉर्पोरा परियोजना**–केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा एवं भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्‌वारा विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की प्रकाशित पुस्तकों से और ऑन लाइन सामग्री–संकलन का कार्य किया जा रहा है। त्रिवर्षीय परियोजना के दूसरे वर्ष के अंतर्गत 20 मिलियन (दो करोड़) शब्दरूप संकलन का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अब संकलित सामग्री का ऑटोमैटिक व्याकरणिक कोटि निर्धारण किया जा रहा है। इस संकलित सामग्री का उपयोग करते हुए **डिजीटल हिंदी/अंग्रेजी शब्दकोश** और **हिंदी की आधारभूत शब्दावली** का निर्माण किया जा रहा है।

2. **सी.डी. निर्माण परियोजना**–(i) इस योजना के अंतर्गत कई चरणों में कार्य प्रस्तावित है। फिलहाल 22 साहित्यकारों की रचनाओं पर आधारित कविता पाठ, कविता आवृत्ति और संगीत की सी.डी. बननी हैं। इन साहित्यकारों में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नज़ीर, ग़ालिब, फिराक़ गोरखपुरी, निराला, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, नागार्जुन, त्रिलोचन आदि प्रमुख हैं। (ii) हिंदी भाषा शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया सी.डी. का निर्माण किया जा रहा है।

3. **हिंदी लोक शब्दकोश परियोजना**–इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत हिंदी परिवार की 48 बोलियों, उपभाषाओं/भाषाओं के शब्दकोश निर्माण की योजना है, ताकि लोक भाषाओं के उन शब्दों की रक्षा हो सके जिनमें अद्‌भुत नाद सौंदर्य और भाव सौंदर्य है। यह हिंदी की जड़ों को सुरक्षित करने की ही नहीं, हिंदी की अखंडता को भी मजबूत करने की योजना है। प्रथम चरण में ब्रज, अवधी, बुंदेली, भोजपुरी, राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी के कोश निर्माण का कार्य नई तकनीक से किया जा रहा है।

4. **पूर्वोत्तर लोक साहित्य परियोजना**—उत्तर–पूर्व की भाषाओं में बिखरी लोक कथाओं के संकलन और उनके हिंदी अनुवाद के प्रकाशन की परियोजना भी शुरू की गई है, ताकि हिंदी के माध्यम से उत्तर–पूर्व के लोग अपनी साझी विरासत का संरक्षण कर सकें।

संस्थान के हिंदी सेवी सम्मान

यह योजना सन् 1989 में प्रारंभ हुई। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के उन्नयन, विकास एवं प्रचार–प्रसार हेतु उत्कृष्ट कार्यों के लिए हर वर्ष 14 समर्पित विद्वानों को संस्थान द्वारा एक लाख रुपए, शॉल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित/पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है :

1. **गंगाशरण सिंह पुरस्कार**
2. **गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार**
3. **आत्माराम पुरस्कार**
4. **सुब्रह्मण्यम भारती पुरस्कार**
5. **महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार**
6. **डॉ० जार्ज ग्रियर्सन पुरस्कार**
7. **पद्मभूषण डॉ. मोटूरि सत्यनारायण पुरस्कार**

संस्थान का पुस्तकालय

संस्थान का पुस्तकालय भाषाविज्ञान, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, भाषा शिक्षण और हिंदी साहित्य के विभिन्न विषयों की पुस्तकों के विशेषीकृत संग्रह की दृष्टि से हिंदी के सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालयों में से एक है। इसमें लगभग एक लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं और लगभग 75 पत्रिकाएँ (शोध एवं अन्य) पुस्तकालय में हर महीने आती हैं। इसका नया संदर्भ प्रभाग अद्वितीय है। हर महीने कवि/लेखकों की जन्म जयंती पर साहित्यिक परिचर्चा और सप्ताहव्यापी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

संस्थान से संबद्ध प्रशिक्षण महाविद्यालय

1. राजकीय हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, उत्तर गुवाहाटी (असम)
2. राजकीय हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, आइजोल (मिज़ोरम)
3. राजकीय हिंदी शिक्षक–प्रशिक्षण महाविद्यालय, मैसूर (कर्नाटक)
4. राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, दीमापुर (नागालैंड)

संस्थान द्वारा नागालैंड सरकार के अनुरोध पर वहाँ के हिंदी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसकी शिक्षण सामग्री भी संस्थान द्वारा निर्मित की गई है। मिज़ोरम सरकार के अनुरोध पर संस्थान द्वारा एक द्विवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। उपर्युक्त दोनों पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ संस्थान संचालित करता है तथा समय–समय पर उनके पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण संस्थान की पाठ्यक्रम समिति और विद्या–सभा द्वारा किया जाता है। आज केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी के अध्ययन–अध्यापन, मूलभूत अनुसंधान तथा अनुप्रयुक्त हिंदी भाषाविज्ञान के क्षेत्र में उच्चस्तरीय संस्था का रूप धारण कर चुका है।

2–संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग में चलने वाले पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं उनका विवरण

मान्यता–विवरण

No. F.3-28/2003-DI (L)
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Human Resource Development
Department of Secondary & Higher Education
(Language Division)

............New Delhi, 25th November, 2003

Subject : Recognition of the examination of Kendriya Hindi Sansthan, Agra for purpose of employment of Hindi Teachers.

1. The undersigned is directed to say that for teaching Hindi on Scientific lines, producing efficient Hindi Teachers and providing facilities for research in Hindi Teaching Government of India established under the Ministry of Education (now Ministry of Human Resource Development) a fully funded Autonomous Organisation namely the "Kendriya Hindi Shikshan Mandal at Agra, in the year 1960. For achieveing the aforesaid objectives, the Mandal runs the 'Kendriya Hindi Sansthan' With its regional Centres in Delhi. Mysore, Hyderabad, Guwahati and Shillong.
2. The question of recognition of the Teachers training courses viz. Hindi Shikshan Praveen, Hindi Shikshan Parangat and Hindi Shikshan Nishnat run by the K.H.S.M., Agra for the purpose of employment under the Central Government was considered in the Ministry some years ago. In the year 1967. Government of India decided in consultation with the U.P.S.C. and the Ministry of Home Affairs to recognize the following courses of study of the K.H.S.M., Agra as equivalent to those noted against each for the purpose of employment under the Central Government vide Ministry of Education, New Delhi OM No. 24-6/64-H.I. Dated 12th April, 1967, (Copy enclosed) :

	Name of the Course	Equivalent to
1.	Hindi Shikshan Praveen	Teacher's Training Certificate/Diploma.
2.	Hindi Shikshan Parangat	B.T./B.Ed. Degree of an Indian University
3.	Hindi Shikshan Nishnat	M.Ed. Degree of an Indian University.

3. The Recognition of the examinations as mentioned will however, was limited to specific purpose of teaching Hindi in High School/Higher Secondary School/Colleges and training Institution etc.
4. In pursuance of Ministry's this letter, State/U.T. Administrations also issued necessary orders for recognition of aforesaid courses in their respectively States/U.Ts. The recognition of aforesaid courses of the K.H.S.M.,-Agra Still continues. States are again requested to take necessary action in this regard in respect of their State/UT at the earliest and inform this Ministry there about.

The receipt of this may kindly be acknowledged at the earliest.

(A. R. HAREA)
UNDER SECRETARY OF THE GOVT. OF INDIA.

To

The Secretary,
All Ministeries/Deptts.

Copy forwarded for necessary action to :

1. The Principal Secretaries/Secretary, (Education) All States/U.T.
2. Ministry of Home Affairs, New Delhi with reference to this correspondence resting with U.O. No. 1149/67-Estt. (D), Dated the 24th February, 1967.
3. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi with reference to this letter No. F. 1/7/66 RR, Dated the 24th January, 1967.
4. The Secretary, Staff Selection Commission, C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi.
5. The Secretary, Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Gandhi Nagar, Agra.
6. All attached and subordinate Office and Sections of the Ministry.
7. All Autonomous Organisations under Ministry of Human Resource Development.

(A. R. HAREA)
UNDER SECRETARY OF THE GOVT. OF INDIA

पाठ्यक्रम विवरण

1. हिंदी शिक्षण निष्णात

यह पाठ्यक्रम एम. एड. स्तर का है। पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। यह पाठ्यक्रम मुख्यालय आगरा में ही चलाया जाता है।

प्रवेश योग्यताएँ

प्रवेश की न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यताएँ निम्नलिखित हैं—

(i) बी.ए. हिंदी मुख्य विषय के साथ

(i) हिंदी प्रविधि के साथ बी.एड., एल.टी. अथवा हिंदी शिक्षण पारंगत

2. हिंदी शिक्षण पारंगत

यह पाठ्यक्रम बी०एड० स्तर का है। पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। यह पाठ्यक्रम वर्तमान में मुख्यालय आगरा में ही संचालित किया जाता है। संस्थान से संबद्ध निम्नलिखित महाविद्यालयों में भी यह पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है—

1. राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (उत्तर गुवाहाटी)
2. मिजोरम हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (आइजोल)
3. राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (मैसूर)

प्रवेश योग्यताएँ

प्रवेश की न्यूनतम एवं अनिवार्य योग्यताएँ निम्नलिखित हैं—

बी०ए० हिंदी मुख्य विषय के साथ

अथवा

(i) किसी भी विषय में स्नातक की (बी. ए./बी.एस–सी./बी.कॉम.) की उपाधि

(ii) किसी भी बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट हिंदी विषय सहित **या** केंद्रीय हिंदी संस्थान से हिंदी शिक्षण प्रवीण

(iii) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बी०ए० के समकक्ष हिंदी की उपाधि (विद्वान, रत्न, शास्त्री आदि)।

3. हिंदी शिक्षण प्रवीण

यह पाठ्यक्रम बी०टी०सी० स्तर का है। पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। यह पाठ्यक्रम मुख्यालय आगरा और दीमापुर केंद्र पर संचालित किया जाता है।

प्रवेश योग्यताएँ

इंटरमीडिएट (हायरसेकेंड्री, प्री–यूनिवर्सिटी) हिंदी विषय सहित

अथवा

(i) किसी भी शाखा से इंटरमीडिएट (हायरसेकेंड्री, प्री–यूनिवर्सिटी)

(ii) किसी भी बोर्ड द्वारा हाईस्कूल हिंदी विषय सहित

(iii) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट स्तर के समकक्ष प्रमाण–पत्र (कोविद, भूषण आदि)।

4. **त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा**

यह पाठ्यक्रम खासतौर से नागालैंड के लिए संचालित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम प्रारंभ के दो वर्ष राजकीय हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, दीमापुर (नागालैंड) में संचालित होता है तथा अंतिम वर्ष का प्रशिक्षण केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा में दिया जाता है। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु हिंदी सहित हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य है।

5. **विशेष गहन (डिप्लोमा स्तरीय)**

यह पाठ्यक्रम पूर्वोत्तर प्रांतों के उन शिक्षकों के लिए है जो हिंदी अध्यापक के रूप में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं, किंतु जिनके पास हिंदी की कोई औपचारिक उपाधि नहीं है।

इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है। यह पाठ्यक्रम केंद्रीय हिंदी संस्थान के दीमापुर केंद्र पर संचालित किया जाता है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अध्यापकों का राज्य सरकार से प्रतिनियुक्त होकर आना अनिवार्य है।

प्रवेश योग्यताएँ

हिंदी विषय सहित हाईस्कूल बोर्ड की परीक्षा की उत्तीर्णता अथवा किसी भी विषय से हाईस्कूल की परीक्षा की उत्तीर्णता के साथ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल/इंटर के समकक्ष हिंदी डिप्लोमा की उत्तीर्णता।

3–पाठ्यक्रमों की रूपरेखा

1. **हिंदी शिक्षण निष्णात**

(क) अनिवार्य प्रश्न–पत्र

1.	शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय एवं भाषावैज्ञानिक आधार	80+10+10=100
2.	शिक्षा मनोविज्ञान एवं मनोभाषिकी	80+10+10=100
3.	शैक्षिक तकनीकी तथा अन्य भाषा शिक्षण	80+10+10=100
4.	भाषाविज्ञान एवं भारतीय भाषा–चिंतन की परंपरा	80+10+10=100
5.	हिंदी भाषा की सरंचना	80+10+10=100
6.	अनुसंधान प्रविधि एवं भाषापरक अनुसंधान के आयाम	80+10+10=100
7.	लघु शोध प्रबंध एवं मौखिकी	75+25=100

(ख) **वैकल्पिक प्रश्न–पत्र**

निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न–पत्र चुनना आवश्यक है–

1.	भाषा परीक्षण और मूल्यांकन	50+30+10+10=100
2.	व्यतिरेकी एवं त्रुटि विश्लेषण	50+30+10+10=100
3.	साहित्य विश्लेषण एवं साहित्य शिक्षण	50+30+10+10=100
4.	कंप्यूटर साधित हिंदी भाषा संसाधन	50+30+10+10=100
5.	हिंदी शिक्षण सामग्री निर्माण	50+30+10+10=100
6.	प्रयोजनमूलक हिंदी	50+30+10+10=100

2. हिंदी शिक्षण पारंगत

हिंदी शिक्षण पारंगत पाठ्यक्रम की सैद्धांतिक परीक्षा 700/800 अंकों की और प्रायोगिक परीक्षा 300 अंकों की संपन्न होती है। द्वितीय प्रविधि के रूप में किसी अतिरिक्त विषय को लेने वाले छात्रों की सैद्धांतिक परीक्षा 800 अंकों और प्रायोगिक परीक्षा 150 अंकों की होगी जिसमें 75 अंक आंतरिक होंगे तथा 75 अंक बाह्य। ऐसे छात्रों की हिंदी शिक्षण प्रविधि प्रायोगिक परीक्षा केवल आंतरिक एवं बाह्य 75+75 = 150 अंकों की ही होगी।

(क) **सैद्धांतिक खंड**

अनिवार्य प्रश्न–पत्र

1.	शिक्षा सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन	80+10+10=100
2.	शिक्षा मनोविज्ञान और भारतीय शिक्षाः इतिहास एवं समस्याएँ	80+10+10=100
3.	भाषा शिक्षण की विधियाँ	80+10+10=100
4.	भाषा विज्ञान	80+10+10=100
5.	हिंदी संरचना और भाषा तुलना प्रविधि	80+10+10=100
6.	भाषा परिमार्जन	50+30+10+10=100
7.	हिंदी साहित्य	80+10+10=100
8.	ऐच्छिक प्रश्न–पत्र (कन्नड़/उड़िया)	100

नोट : प्रश्न–पत्र 1 से 5 तथा 7 में 80 अंक वार्षिक परीक्षा के लिए हैं और 10+10 अंक दो आंतरिक परीक्षाओं के लिए हैं। प्रश्न–पत्र 6 में 40 अंक वार्षिक लिखित परीक्षा, 40 अंक वार्षिक मौखिक परीक्षा एवं 10–10 अंक प्रथम एवं द्वितीय आंतरिक परीक्षा के लिए हैं।

अतिरिक्त : एक प्रश्न–पत्र

8. प्रांतीय आवश्यकता के अनुसार द्वितीय शिक्षण प्रविधि (केवल भाषाएँ) 80+10+10=100

(ख) प्रायोगिक खंड : शिक्षण कार्य एवं अन्य गतिविधियाँ **300 अंक**

(अ) बाह्य परीक्षा (कौशल + साहित्य) 75+75=150

(ब) आंतरिक परीक्षा (कौशल + साहित्य) 75+75=150

(अ) केवल हिंदी प्रविधि लेने वाले

	अंक वितरण	
	बाह्य –	आंतरिक
कौशल पाठ–20	75	75
साहित्य पाठ–20	75	75

(आ) हिंदी प्रविधि के साथ–साथ एक और भाषा की प्रविधि लेने वाले (द्वितीय प्रविधि के रूप में केवल कन्नड़ एवं उड़िया ही लागू हैं)।

	हिंदी में	द्वितीय प्रविधि
कौशल पाठ–20	75	75
साहित्य पाठ–20	75	75

3. हिंदी शिक्षण प्रवीण

(क) सैद्धांतिक खंड **700 अंक**

1. शिक्षा सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन एवं विद्यालय संगठन 80+10+10=100
2. शिक्षा मनोविज्ञान एवं भारतीय शिक्षा 80+10+10=100
3. भाषा शिक्षण 80+10+10=100
4. हिंदी भाषा की संरचना 80+10+10=100
5. भाषा परिमार्जन 60+20+10+10=100
6. हिंदी साहित्य 80+10+10=100

(ख) प्रायोगिक खंड : शिक्षण कार्य एवं अन्य गतिविधियाँ **300 अंक**

(अ) बाह्य परीक्षा 150 अंक

(ब) आंतरिक परीक्षा 150 अंक

4–प्रवेश नियम

1. विभिन्न पाठ्यक्रमों के आगामी सत्र के लिए संलग्न आवेदन–पत्र एवं प्रवेश–पत्र 31 मार्च तक **कुलसचिव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा–282005** के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए। इसके बाद प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदन–पत्र के साथ उत्तीर्ण परीक्षाओं के प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ भेजना आवश्यक है।
3. राज्य सरकारों एवं सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए सेवारत हिंदी अध्यापकों को उनकी अर्हता, योग्यता के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा।
4. हिंदी शिक्षण निष्णात, हिंदी शिक्षण पारंगत एवं हिंदी शिक्षण प्रवीण पाठ्यक्रमों में सेवापेक्षी (प्री–सर्विस) छात्रों का प्रवेश लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। प्रवेश परीक्षा की तिथि जून के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में रहेगी एवं स्थान की सूचना पत्र व्यवहार के पते पर बाद में दी जाएगी। प्रवेश–परीक्षा का प्रश्न–पत्र निम्नवत् होगा–

खंड (क)	:	सामान्य ज्ञान	25 अंक
खंड (ख)	:	शिक्षक अभिरुचि परीक्षण	25 अंक
खंड (ग)	:	हिंदी भाषा एवं साहित्य	25 अंक
खंड (घ)	:	हिंदी भाषा दक्षता परीक्षण	25 अंक

   प्रवेश परीक्षा के मॉडल पेपर के नमूने पृष्ठ 25 पर दिए गए हैं।

   प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी भी प्रकार का कोई मार्ग व्यय एवं भत्ता देय नहीं होगा।
5. प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ही विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा जो आरक्षणवार और राज्यवार निर्धारित सीटों के अनुसार होगा।
6. प्रवेश परीक्षा के बाद चुने गए सभी आवेदकों को प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :
   (क) शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण–पत्र
   (ख) जन्म–तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र
   (ग) यदि सेवारत है तो वर्तमान सेवा–संस्था से प्राप्त निवृत्ति–पत्र
   (घ) स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण–पत्र (गर्भवती महिलाओं को पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाता)
   (ङ) दो प्रतिष्ठित सज्जनों से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र
7. प्रवेश के समय प्रवेशार्थी को पुस्तकालय परिभाव्य धन (कॉशन मनी) रु० 500.00 एवं छात्रावास परिभाव्य धन (कॉशन मनी) रु० 2000.00 जमा करना होगा। यह धन सत्रांत के पश्चात् एक महीने के अंदर प्रार्थना–पत्र मिलने पर लौटाया जाएगा।
8. प्रवेश की सूचना प्राप्त किए बिना यदि कोई आवेदक यहाँ आ जाता है तो यह उसकी निजी जिम्मेदारी होगी। ऐसे आवेदकों को छात्रावास में ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. प्रशिक्षणार्थियों को सत्र की अवधि में किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सत्र की अवधि में कोई छात्र अन्य परीक्षा की तैयारी करता पाया जाएगा तो उसे संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा और उसे दी गई छात्रवृत्ति की सारी धनराशि भी वसूल की जाएगी।

10. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा आवेदन–पत्र में दी गई सूचनाओं तथा प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों की जाँच कराई जा सकती है। किसी भी प्रकार की सूचना के गलत तथा प्रमाण–पत्र के अवैध पाए जाने पर उनका प्रवेश तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थी की समस्त धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

11. गर्भवती महिलाओं को इन पूर्णसत्रीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

12. छात्रों की सामान्य चिकित्सा के लिए संस्थान में समुचित व्यवस्था है। विशेष चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में छात्रों को स्वयं खर्च वहन करना होगा। संस्थान किसी भी प्रकार के बाहरी बिल का भुगतान नहीं करेगा। संस्थान विशेष बीमारी, दुर्घटना आदि व्ययभार भी नहीं उठाएगा।

13. ऐसी बीमारी जो संस्थान में प्रवेश लेने के पूर्व आवेदक के शरीर में पनपनी शुरू हो गई होगी, उस बीमारी से गंभीर स्थिति उत्पन्न होने पर आपात स्थिति में मदद लेकर आगे की चिकित्सा का खर्च विद्यार्थी को स्वयं वहन करना होगा। बीमारी की पहचान चिकित्सीय प्रमाण/रिपोर्ट के आधार पर मान्य होगी।

14. प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी उत्तरी भारत की जलवायु के अनुकूल बिस्तर, मसहरी और पहनने तथा ओढ़ने के गरम कपड़े अवश्य ले आए।

15. प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए नियमावली, जिसके अंत में आवेदन–पत्र दिए गए होते हैं, संस्थान मुख्यालय से मंगाई जा सकती है।

छात्रवृत्ति संबंधी नियम

1. संस्थान के मुख्यालय एवं केंद्रों पर प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में रु० 2000/– प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा संचालित संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।

2. कार्य दिवसों में अनुपस्थित रहने वाले छात्र की छात्रवृत्ति काट ली जाएगी।

3. जो छात्र एक अंतर में अनुपस्थित पाए जाएँगे, उनकी छात्रवृत्ति से 20 रुपए और जो छात्र दो अंतरों में अनुपस्थित पाए जाएँगे उनकी छात्रवृत्ति से 50 रुपए की कटौती कर ली जाएगी।

आकस्मिक अवकाश संबंधी नियम

1. सत्रावधि में अति महत्वपूर्ण कारणों के आधार पर छात्रों को आठ दिन का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो अधिकार न होकर परिस्थितिजन्य माना जाएगा और इसके लिए छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

मध्यावकाश संबंधी नियम

1. संपूर्ण सत्रावधि में केवल दो सप्ताह का मध्यावकाश दिया जाएगा। अवकाश की वास्तविक तिथियों की घोषणा प्रत्येक वर्ष के कैलेण्डर के आधार पर सत्र के प्रारंभ में की जाएगी।

2. जो छात्र मध्यावकाश के पूर्व या बाद में कक्षा में लगातार पाँच दिन अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें संबद्ध महीने की छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। लगातार 10 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा और उन्हें पाठ्यक्रम से मुक्त कर दिया जाएगा।

सामान्य सूचनाएँ

1. संस्थान की उपाधियों का जितना महत्व है, उतना ही महत्व संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाले अन्य प्रमाण–पत्रों का भी है। संस्थान में औपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत साहित्य–सभा, प्रसार व्याख्यान, विशेष व्याख्यान, संगोष्ठी, सांस्कृतिक समारोह, क्रीड़ा प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक प्रतियोगिताएँ, स्काउट एवं गाइड, शैक्षणिक पर्यटन आदि भी आयोजित होते हैं। इन सह–पाठ्यक्रमीय क्रिया–कलापों में प्रत्येक छात्र/छात्रा की उपस्थिति अनिवार्य है। जो छात्र/छात्रा इन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उन्हें योग्यता, दक्षता, सहभागिता के अनुरूप प्रमाण पत्र दिए जाते हैं।

2. संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग के प्रशिक्षणार्थियों की छात्र–पत्रिका 'समन्वय' हर हर्ष प्रकाशित होती है, जिसमें उनके रचनात्मक लेख, कविता, कहानी इत्यादि प्रकाशित किए जाते हैं।

5–परीक्षा नियम

1. संस्थान की परीक्षाएँ प्रतिवर्ष निर्धारित तिथियों पर आगरा में तथा आवश्यकतानुसार मंडल द्वारा निर्धारित अन्य केंद्रों पर होंगी।

2. सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षा के लिए पारंगत और प्रवीण, त्रिवर्षीय हिंदी शिक्षक डिप्लोमा में पृथक–पृथक श्रेणियाँ प्रदान की जाती हैं। उत्तीर्णता के लिए छात्रों को कुल योग का 40 प्रतिशत लाना अनिवार्य है। प्रश्न–पत्र विशेष में उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

3. वर्ष 2008–09 से पुनरीक्षण (Review) की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। परीक्षा परिणाम की घोषणा होने की तिथि से एक माह के अंदर किसी भी एक प्रश्न–पत्र का पुनरीक्षण कराया जा सकता है। इसके लिए रु० 200/– शुल्क के रूप में जमा करवाने होंगे।

4. वार्षिक परीक्षा में किन्हीं दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की पूरक परीक्षा मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि के बाद तीन माह के अंदर करवाई जाएगी। इस पूरक परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में कुल रु० 550/– मूल परीक्षा परिणाम निकलने की तिथि से दो महीने के भीतर जमा करवाने होंगे। पूरक परीक्षा में बैठने के लिए केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा।

5. परीक्षा परिणाम सुधार के लिए कोई भी छात्र अधिकतम दो प्रश्न–पत्रों में पुनर्परीक्षा दे सकता है, जो अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ दिए जा सकेंगे। इसके लिए जो रु० 300/– प्रति प्रश्न–पत्र की दर से शुल्क देना होगा।

6. सभी परीक्षाओं में उत्तीर्णता की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी–

   प्रथम श्रेणी–60 प्रतिशत और अधिक

   द्वितीय श्रेणी–48 प्रतिशत और अधिक

   तृतीय श्रेणी–40 प्रतिशत और अधिक

   यदि कोई प्रशिक्षणार्थी पूर्ण योग में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करेगा तो उसके प्रमाण–पत्र में "प्रथम श्रेणी विशेष योग्यता सहित" का उल्लेख किया जाएगा।

7. प्रशिक्षणार्थियों को वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन–पत्र भरकर 30 नवंबर तक परीक्षा विभाग में जमा कराना होगा। परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ 650 रु० का बैंक ड्राफ्ट, "सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा" के नाम से बनवा कर जमा करें अथवा लेखा विभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करें और परीक्षा आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करें।

8. 30 नवंबर तक परीक्षा आवेदन–पत्र जमा न कर पाने वाले छात्र विलंब शुल्क रु० 50/– सहित 15 दिसंबर तक अपना परीक्षा आवेदन–पत्र जमा कर सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद परीक्षा आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

9. परीक्षा आवेदन–पत्र खोने/खराब होने की स्थिति में दूसरा आवेदन–पत्र रु० 50/– जमा करने के पश्चात ही मिल सकेगा।

10. पूरक परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को परीक्षा नियंत्रक, केंद्रीय हिंदी संस्थान (शैक्षिक एवं परीक्षा विभाग), आगरा से परीक्षा आवेदन–पत्र मँगाना होगा। परीक्षा आवेदन–पत्र मँगाने और निर्धारित तिथि तक भरकर भेजने की जिम्मेदारी छात्र की होगी। आवेदन–पत्र मँगाने के लिए भेजे जाने वाले प्रार्थना–पत्र के साथ अपना नाम, पता लिखा 23 × 15 से. मी. का लिफाफा (जिस पर रु० 50/– का डाक टिकट लगा हो) भेजना होगा।

11. वार्षिक परीक्षा संबंधी अभिलेख (रिकार्ड) तीन वर्ष तक ही सुरक्षित रखे जाते हैं, तदनंतर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है।

12. वार्षिक परीक्षा का आयोजन परीक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा, आंतरिक परीक्षाएँ विभागीय स्तर पर आयोजित की जाएँगी।

13. वार्षिक परीक्षा परिणाम संबंधी त्रुटियों का निराकरण परिणाम घोषित होने के तीन माह के अंदर किया जाएगा।

14. यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन–पत्र भरने के बाद चिकित्सकीय कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता और तत्काल इसकी सूचना संस्थान को देता है तो उसे अगली परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन–पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। यह अनुमति बाद के वर्षों के लिए लागू नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि चिकित्सकीय आधार पर केवल एक ही अवसर दिया जाएगा।

15. यदि कोई छात्र परीक्षा में नकल करता पकड़ा/पाया जाता है तो उसकी पूरी परीक्षा निदेशक द्वारा गठित अनुशासन समिति द्वारा निरस्त की जा सकती है और अनुशासन समिति द्वारा लिए गए निर्णय को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

16. द्वितीय प्रविधि (कन्नड़/उड़िया) की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक अंकतालिका में पूरी परीक्षा श्रेणी निर्धारण में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे, अलग से दर्शाये जायेंगे।

6–संस्थान नियम

1. चूँकि सारे पाठ्यक्रम आवासीय व्यवस्था के अंतर्गत चलते हैं, अतः छात्रों की शत–प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

2. परीक्षा में वे ही छात्र शामिल हो पाएँगे जिनकी कुल उपस्थिति 90 प्रतिशत होगी।

3. कोई प्रशिक्षणार्थी निदेशक की अनुमति प्राप्त किए बिना नगर के बाहर नहीं जा सकेगा।

4. संस्थान में होने वाले सह–पाठ्यक्रमीय कार्यक्रमों, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक आयोजनों, गोष्ठियों और समारोहों आदि में सभी प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थी अर्थदंड के भागी होंगे।

5. सत्र की अवधि में दो बार आंतरिक परीक्षा ली जाएगी जो अक्टूबर के उत्तरार्ध में एवं मार्च के पूर्वार्ध में संपन्न होंगी। इन परीक्षाओं में प्रत्येक छात्र का सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

6. जो प्रशिक्षणार्थी आंतरिक परीक्षा तथा सत्र की प्रगति के समानांतर संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाएँगे और संस्थान के नियमों के विरुद्ध आचरण करते पाए जाएँगे, उन्हें पाठ्यक्रम से किसी भी समय निकाला जा सकता है।

7. प्रवेश के समय कुल रु० 1500/– एकमुश्त छात्रावास सुविधा शुल्क के रूप में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त कुल रु० 1000/– कॉशन मनी के रूप में जमा करने होंगे।

8. वार्षिक परीक्षा के पूर्व अधिकतम 10 दिन तक तैयारी के लिए अवकाश दिया जाएगा। उस अवकाश काल में कोई छात्र नगर से बाहर नहीं जा सकेगा।

9. अनुशासन भंग करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अर्थदंड देने के अतिरिक्त संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है और उस दशा में दी गई छात्रवृत्ति वापस करनी होगी।

10. **प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रतिदिन अपनी कक्षा में, संस्थान के समारोहों एवं शिक्षणाभ्यास कार्यों में अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पोशाक धारण करनी होगी। निर्धारित पोशाक न होने पर कक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और छात्र को अनुपस्थित माना जाएगा।** निर्धारित पोशाक इस प्रकार हैं :

    (क) महिला प्रशिक्षणार्थियों के लिए–नीले रंग (नेवी ब्लू) की 04 इंच बॉर्डर वाली सफेद साड़ी, नीला (नेवी ब्लू) ब्लाउज अथवा सफेद सलवार, नीले रंग (नेवी ब्लू) का कुर्ता और सफेद चुन्नी एवं नीला (नेवी ब्लू) स्वेटर तथा काले रंग की जूती/चप्पल/सैंडिल।

    (ख) पुरुष प्रशिक्षणार्थियों के लिए–ग्रे पैंट, सफेद शर्ट एवं नीला (नेवी ब्लू) स्वेटर या कोट तथा काले रंग के जूते व सफेद मोजे।

11. कक्षाओं का समय (सोमवार से शुक्रवार तक) निम्नलिखित होगा–

    (क) कक्षाओं में आगमन एवं स्थान ग्रहण प्रातः 9–45 से 9–50 तक

    (ख) सरस्वती वंदना/संस्थान गीत एवं राष्ट्र गान प्रातः 9–50 से 10.00 तक

    (ग) कक्षाएँ प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक

    (घ) मध्यावकाश 01.00 बजे से 2.00 बजे तक रहेगा।

12. स्काउट एवं गाइड का प्रशिक्षण प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए अनिवार्य है। इसका आयोजन मुख्यालय के छात्रों के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग और केंद्रों के छात्रों के लिए केंद्र द्वारा किया जाता है।

13. शैक्षिक पर्यटन में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी की सहभागिता अनिवार्य है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग है। यह पर्यटन शैक्षिक एवं साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक महत्व के स्थानों के लिए अध्यापक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। संस्थान शैक्षिक पर्यटन के व्यय भार के रूप में पर्यटन पर जाने वाले प्रति सदस्य के लिए रु० 500/– का योगदान देगा। शेष सभी व्यय प्रशिक्षणार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा। स्थानीय शैक्षिक भ्रमण निःशुल्क होगा।

7–छात्रावास नियम

1. संस्थान में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के लिए छात्रावास की व्यवस्था है। पूरे सत्र के लिए एकमुश्त रु० 1500/– (रुपए एक हजार पाँच सौ) छात्रावास सुविधा शुल्क छात्रावास में जमा करने होंगे। सभी प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में अनिवार्यतः रहना होगा। यदि किन्हीं कारणों से कोई प्रशिक्षणार्थी छात्रावास से बाहर रहना चाहता/चाहती है, तो उसे निदेशक से अनुमति प्राप्त करनी होगी। बाहर रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान के छात्रावास से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थी को कोई हानि या असुविधा होती है तो उसके लिए संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. संस्थान के छात्रावासों में किसी एक प्रशिक्षणार्थी को पूरा कमरा नहीं दिया जाएगा। छात्रों को अन्य प्रशिक्षणार्थियों के साथ कमरे में रहना होगा। एक कमरे में रहने वाले छात्र–छात्राएँ एक भाषा–भाषी न होकर भिन्न भाषा–भाषी होंगे।
3. (क) प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रवेश के समय छात्रावास तथा भोजनालय के लिए रु० 1000/– (एक हजार मात्र) कॉशन मनी के रुप में छात्रावास कार्यालय में जमा करने होगे। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि संस्थान छोड़ने पर छात्रावास के नुकसान की भरपाई करने के बाद वापस कर दी जाएगी। **संस्थान छोड़ने से पूर्व संस्थान द्वारा प्रदत्त सभी देय सामग्री वापस करनी होगी।**

   (ख) छात्रावास के भोजनालयों में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था की जाती है, जो खुद विद्यार्थी प्रतिनिधियों द्वारा ही संचालित होगी। गैस के प्रबंधन में छात्रावासों के वार्डन छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। भोजनालयों का हिसाब वार्डनों के निर्देशानुसार छात्रावास सहायक की देख–रेख में छात्र प्रतिनिधि रखेंगे, जिसका निरीक्षण वार्डन किसी भी समय कर सकते हैं। प्रत्येक माह के अंत में छात्र प्रतिनिधि हिसाब की कॉपी वार्डन कार्यालय में जमा करेंगे। भोजनालयों के प्रबंध के लिए वार्डन की अध्यक्षता में प्रत्येक महीने के तृतीय सप्ताह में आयोजित एक बैठक में समिति का चयन किया जाएगा। सत्र के आरंभ में भोजनालय संबंधी नियम वार्डन घोषित करेंगे। भोजन व्यय की राशि का भुगतान समय पर नहीं करने पर उसकी कटौती छात्रवृत्ति से की जाएगी।

   (ग) भोजन भोजनालय कक्ष में ही करना होगा। भोजन कमरे में ले जाने पर पूर्णतः निषेध है और कोई भी प्रशिक्षणार्थी कमरे में भोजन, चाय आदि नहीं बनाएगा। भोजनालय के समय के अनुसार ही भोजन करना अनिवार्य है। भोजनालय कक्ष का कोई भी सामान छात्र/छात्रा बाहर नहीं ले जाएँगे। इसकी अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

   (घ) यदि कोई विद्यार्थी आगरा शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाए तो भोजनालय प्रतिनिधि एवं वार्डन को लिखित रूप से सूचित करे। ऐसे में तीन दिन से कम अनुपस्थिति पर किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी, तीन दिन से अधिक दिनों के लिए बाहर रहने पर भोजन व्यय में छूट दी जाएगी।

   (ङ) रसोई में कार्य करने वाले पूर्ण रूप से भोजनालय में ही भोजन करेंगे। इनसे भोजन खर्च वसूल नहीं किया जाएगा।
4. सामान्यतः संक्रामक रोगग्रस्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्रवेश के पश्चात् यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को संक्रामक रोग होगा तो उसे संस्थान के छात्रावास से अलग रहना होगा।
5. सायं 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक छात्रावास से बाहर जाना पूर्णतः निषिद्ध है। अध्ययन के अतिरिक्त छात्रावास से बाहर जाते समय और आते समय प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास गेट पर रखे रजिस्टर में सूचना दर्ज करनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। विशेष परिस्थिति में सायं 7.00 से प्रायः 6.00 बजे तक प्रशिक्षणार्थी वार्डन की पूर्व अनुमति लेकर ही छात्रावास से बाहर जा सकते हैं।
6. छात्रावास या संस्थान के परिसरों में मादक वस्तुओं का उपयोग निषिद्ध है। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को मादक पदार्थ रखते या सेवन करते पाया जाएगा तो उसे तत्काल संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा।
7. किसी प्रशिक्षणार्थी का चरित्र तथा व्यवहार असंतोषजनक पाए जाने पर उसे छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।
8. बाहर का कोई भी व्यक्ति छात्रावास में अतिथि के रूप में नहीं रह सकता।

9. वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना कोई प्रशिक्षणार्थी कमरा और प्रदत्त सामग्री एक दूसरे से नहीं बदल सकता।

10. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी संस्थान एवं छात्रावास की सामग्री को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाएगा, तो उसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी।

11. बिजली के बल्ब सत्र के आरंभ में एक बार दिए जाएँगे। यदि बल्ब फ्यूज होता है तो प्रशिक्षणार्थी को उसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। पुनः लगाए गए बल्बों का वाटेज पूर्व प्रदत्त बल्बों के वाटेज के समान ही होना चाहिए।

12. कमरों में लगे विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य किसी विद्युत उपकरण (तापक/हीटर आदि) का प्रयोग दंडनीय अपराध समझा जाएगा। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त विद्युत शुल्क जमा कर वार्डन/कुलसचिव से अनुमति माँगी जा सकती है।

13. छात्रावास में किसी प्रकार के स्टोव का प्रयोग करना निषिद्ध है। यदि कमरे में स्टोव/हीटर पाया गया तो प्रशिक्षणार्थी को दंडित किया जाएगा और उसका स्टोव/हीटर भी जब्त कर लिया जाएगा।

14. छात्रावासों में वार्डन प्रत्येक तल के नायकों की नियुक्ति करेंगे। नायक अन्य प्रशिक्षणार्थियों की सहायता से छात्रावासों की देखभाल वार्डन के निर्देशानुसार करेंगे।

15. छात्रावास के कार्य के लिए छात्रावास सहायक और छात्र परिचारकों की व्यवस्था है, जिनके कर्तव्य वार्डन के द्वारा निश्चित किए गए हैं।

16. छात्रावास में प्रतिदिन रात्रि को निर्धारित समय (6.00 से 6.30 तक) पर वार्डन द्वारा उपस्थिति ली जाएगी। इसी समय प्रशिक्षणार्थी अपनी कठिनाइयाँ लिखित रूप में वार्डन को दे सकते हैं।

17. सभी छात्र अपने साथ बिस्तर एवं आवश्यक कपड़े (गर्म एवं सामान्य) तथा कंबल आदि लेकर आएँ। दिसंबर से जनवरी तक आगरा में काफी सर्दी होती है। घर जाकर सामान लाने के लिए अवकाश नहीं दिया जाएगा। छात्रावास से केवल पलंग, गद्दा, तकिया और सर्दी के मौसम में रजाई दी जाएगी। उपर्युक्त वस्तुओं को कमरे से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। विद्यार्थी सभी सामग्रियों को सही तरह से प्रयोग करें तथा मौसम के अनुसार छात्रावास सहायक के पास दिए गए समय में वापस जमा कर दें। सामग्री के गायब या खराब होने पर सत्र के अंत में संबंधित छात्र/छात्रा को उसकी भरपाई करनी होगी।

18. छात्रों को छात्रावास के संबंध में अथवा सेवारत कर्मचारियों के संबंध में कोई शिकायत हो तो लिखित रूप में वार्डन को दें। लिखित शिकायत पर ही कार्रवाई की जा सकेगी।

19. कोई भी छात्र/छात्रा अपने साथ किसी बाहरी व्यक्ति/अतिथि को चाहे वह संस्थान से संबंधित ही क्यों न हो, अपने कमरे में नहीं ले जाएगा। उनसे मुलाकात निश्चित अतिथि कक्ष में ही करेगा। यदि किसी विद्यार्थी के अतिथि/बंधु सहेली/दोस्त आते हैं तो पहले उसकी लिखित सूचना वार्डन या छात्रावास सहायक को देनी होगी। अनुमति प्राप्त होने पर ही वह कमरे में प्रवेश कर पाएँगे। बाहरी व्यक्तियों/अतिथियों से मिलने का समय सायं 5.30 बजे से सायं 6.30 बजे के बीच होगा। मिलने वाले व्यक्तियों को विजिटर रजिस्टर (आगंतुक पंजिका) में नाम, पता, समय लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे तथा जिनसे मिलना है उनका नाम भी लिखना होगा और उन्हें भी हस्ताक्षर करने होंगे।

20. कोई भी छात्र अतिथि अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को छात्रावास में अपने साथ नहीं रख सकता। अनुरोध पत्र देने पर उपलब्धता के आधार पर वार्डन उनके रहने एवं खाने की अलग से व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। प्रशिक्षणार्थियों के अभिभावक अधिकतम तीन दिनों तक ही छात्रावास में ठहराए जा सकेंगे।

21. कोई भी प्रशिक्षणार्थी अपने साथ कीमती वस्तु/आभूषण इत्यादि लेकर न आए।

22. प्रत्येक रविवार को तथा राजपत्रित अवकाश के दिन प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक छात्र वार्डन को पूरी सूचना देकर छात्रावास से बाहर जा सकते हैं।

23. गीजर को व्यवहार करने के बाद, स्नानागार एवं शौचालयों के नलों को बंद करना होगा।

24. छात्रों को पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद अधिक से अधिक तीन दिनों तक छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाएगी। अति आवश्यक होने पर अधिक दिनों के लिए निदेशक/कुलसचिव से अनुमति प्राप्त करनी होगी जिसके लिए अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा। यह सुविधा भी दो अतिरिक्त दिनों से अधिक नहीं मिल पाएगी। सत्रांत के बाद भोजनालय में भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

25. आवश्यकतानुसार छात्रावास में निदेशक, मुख्य वार्डन, कुलसचिव, वार्डन किसी भी छात्र/छात्रा के कमरे का निरीक्षण किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं।

छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र–छात्राओं को उपर्युक्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जो विद्यार्थी उपर्युक्त नियमों का पालन नहीं करेगा, उसको संस्थान और छात्रावास से निष्कासित किया जा सकता है।

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री.. .... घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने संस्थान की नियमावली के छात्रावास नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और मैं पूर्ण रूप से आश्वासन देता/देती हूँ कि छात्रावास नियमों का पूर्णतया पालन करूँगा/करूँगी।

दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक की कक्षा

विशेष : संस्थान में प्रवेश पाने वाले सभी छात्र–छात्राओं को यह घोषणा पत्र प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से भरना होगा।

8–चिकित्सा नियम

1. छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अस्वस्थता के दिनों में संस्थान की ओर से चिकित्सा की व्यवस्था है। संस्थान द्वारा नियुक्त डॉक्टर संस्थान भवन में आकर उनकी चिकित्सा करते हैं।
2. संस्थान के डॉक्टर द्वारा ही प्रशिक्षणार्थियों को अपनी चिकित्सा करानी होगी। वार्डन से अनुमति लेकर बाहर के डॉक्टर से उसी दशा में चिकित्सा करा सकते हैं जबकि (1) संस्थान के डॉक्टर अवकाश पर हों या (2) ऐसे समय जब उन्हें बुलाना संभव न हो। ऐसी दशा में वार्डन अपने विवेक से बीमार छात्र को सरकारी अस्पताल भेज सकते हैं या संस्थान द्वारा पूर्व–अधिकृत डॉक्टर से चिकित्सा करा सकते हैं। इस प्रकार की चिकित्सा एक या दो दिन के लिए या उस अवधि के लिए होगी जबकि संस्थान के डॉक्टर अवकाश पर होंगे। इस चिकित्सा का व्यय संस्थान अपने नियमों के अनुसार वहन करेगा।
3. यदि कोई छात्र/छात्रा अपनी इच्छा से, वार्डन की अनुमति के बिना किसी बाहरी डॉक्टर से चिकित्सा कराएँगे तो उसका सारा व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा। संस्थान ऐसी किसी भी चिकित्सा की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
4. उपर्युक्त नियम (2) तीन मास या अधिक की अवधि के पाठ्यक्रमों पर ही लागू होगा। इससे कम अवधि के पाठ्यक्रम के छात्रों की चिकित्सा संस्थान के डॉक्टर की चिकित्सा तक ही सीमित रहेगी।
5. डॉक्टर की फीस और दवाइयों के दाम के लिए प्रति छात्र से मासिक रु० 50/– चिकित्सा शुल्क लिया जाता है।
6. केवल संस्थान के नियुक्त डॉक्टर के प्रमाण–पत्र के आधार पर ही चिकित्सा–अवकाश स्वीकृत करने पर विचार किया जाएगा।
7. लंबी अवधि की चिकित्सा, शल्य क्रिया, अस्पताल में भर्ती होने के किसी भी व्यय को संस्थान नहीं उठाएगा। यदि कोई भी छात्र इस प्रकार की अस्वस्थता से ग्रस्त होता है तो उसे पाठ्यक्रम से निलंबित कर दिया जाएगा।

9–पुस्तकालय नियम

1. पुस्तकालय सभी दिवसों में कार्यालय के समयानुसार खुलेगा।
2. निष्णात और पारंगत के छात्राध्यापकों को पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए कार्यालय में रु० 500/– (रुपए पाँच सौ मात्र) कॉशन मनी के रूप में जमा करना होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि छात्र के संस्थान छोड़ने पर वापस की जाएगी। संस्थान के पुस्तकालयाध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि छात्र पर पुस्तकालय का कोई देय होने पर इस राशि में से पुस्तकालय का देय काट लें। शोध छात्रों को रु० 700/– कॉशन मनी जमा करना होगा।
3. पुस्तकालय का सदस्य बनने पर प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित संख्या के अनुसार पुस्तकालय से पुस्तकें ले सकेगा :

(क)	निष्णात के प्रशिक्षणार्थी	5 पुस्तकें
(ख)	पारंगत के प्रशिक्षणार्थी	5 पुस्तकें
(ग)	प्रवीण, त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थी	5 पुस्तकें
(घ)	शोध छात्र	5 पुस्तकें

4. प्रशिक्षणार्थियों को पुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिए, शोध छात्रों एवं शैक्षिक विभाग के सदस्यों को पुस्तकें एक मास की अवधि के लिए दी जाएँगी। उक्त अवधि की समाप्ति पर पुस्तकों को वापस करना होगा। आवश्यकतानुसार सदस्य किसी पुस्तक को एक बार पुनः निर्गमित (रि–इश्यू) करा सकते हैं। किसी भी पुस्तक का पुनः निर्गमन केवल एक बार ही हो सकता है।
5. पुस्तक की माँग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तक रखने की अवधि को कम कर सकते हैं, अवधि समाप्त होने से पूर्व पुस्तक को मँगा सकते हैं और पुस्तक को पुनः निर्गमित करने से मना कर सकते हैं।
6. कोश, शोध प्रबंध आदि संदर्भ ग्रंथ पुस्तकालय से बाहर पढ़ने के लिए नहीं दिए जाएँगे। कोई ग्रंथ संदर्भ ग्रंथ है या नहीं, इसका निर्णय पुस्तकालयाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा।
7. पुस्तकालय द्वारा किसी पुस्तक की माँग किए जाने पर सदस्य को 24 घंटे के अंदर पुस्तक वापस कर देनी होगी। माँगे जाने पर या नियत अवधि पर पुस्तकें वापस न करने पर सदस्य को पुस्तकालय से पुस्तकें देना बंद किया जा सकता है। पुनः सदस्य बनने के लिए निदेशक की अनुमति आवश्यक होगी। प्रशिक्षणार्थियों द्वारा नियत अवधि पर पुस्तकें वापस न करने पर एक रुपए प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जाएगा।
8. सामायिक पत्र–पत्रिकाओं और शोध पत्रिकाओं के नवीनतम अंक पुस्तकालय से बाहर पढ़ने के लिए नहीं दिए जाएँगे।
9. पुस्तकालय से पुस्तक/पत्रिका आदि पाठ्य सामग्री लेने के बाद उस सामग्री की सुरक्षा का दायित्व सदस्य का होगा।
10. सदस्य के द्वारा पुस्तक या पत्रिका खो दिए जाने, खराब करने अथवा फाड़ देने पर पुस्तक के अतिरिक्त निम्न आधार पर अधिभार निश्चित किया जाएगा—
    - (क) यदि पुस्तक का नवीनतम संस्करण (तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो) उपलब्ध है तो उसके मूल्य का दुगुना मूल्य लिया जाएगा।
    - (ख) यदि पुस्तक को प्रकाशित हुए 10 वर्ष या उससे कम वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तो पुस्तक के मूल्य का 5 गुना अधिभार लिया जाएगा।
    - (ग) यदि पुस्तक के प्रकाशन को दस वर्ष या उससे अधिक समय व्यतीत हो चुका है तो पुस्तक के मूल्य का दस गुना अधिभार लिया जाएगा।
    - (घ) विदेशी पुस्तक को खरीदते समय पुस्तक का उस समय विदेशी मुद्रा में जो मूल्य था उसकी वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियम दर से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करके जो मूल्य बनेगा उस पर उपर्युक्त नियमों के आधार पर अधिभार की गणना की जाएगी।
11. बहुखंडीय ग्रंथों के किसी एक खंड के खो जाने/विकृत करने की दशा में सदस्य से ग्रंथ के पूरे सैट का अधिभार सहित मूल्य लिया जाएगा। सदस्य संबंधित खंड भी पुस्तकालय को दे सकता है।
12. सदस्य अपना व्यक्तिगत सामान (पुस्तकें, बैग, फाइलें आदि) लेकर पुस्तकालय एवं वाचनालय में प्रवेश नहीं करेंगे।

13. सदस्य को पुस्तकालय द्वारा दिए गए पुस्तकालय कार्ड अहस्तांतरणीय हैं। उनकी सुरक्षा का दायित्व सदस्य का है। कार्ड खो जाने पर उसकी लिखित सूचना तुरंत पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिए।

14. प्रत्येक शैक्षिक सत्र के अंत में सभी सदस्यों को पुस्तकालय की पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्री को भौतिक सत्यापन हेतु वापस करना होगा। वापस करने के पश्चात् आवश्यकतानुसार पुस्तकें पुनः निर्गमित (रि–इश्यू) की जाएँगी।

10–आवेदकों के लिए आवश्यक सूचनाएँ

1. **प्रत्येक आवेदक को पूरी नियमावली पढ़ने के बाद ही आवेदन–पत्र को पूरी तरह से भरना चाहिए।** आवेदन–पत्र में जो भाग उनके लिए आवश्यक न हो उसे काट दें। माँगे गए विवरण को साफ–साफ लिखना आवश्यक है।
2. आवेदन–पत्र में दिया गया सारा विवरण सही और प्रमाण–पत्रों पर आधारित होना चाहिए।
3. आवेदन–पत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं की उत्तीर्णता के मूल प्रमाण–पत्र, अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) और अंतिम वर्ष की अंकसूची (संपूर्ण) की **अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ अवश्य** संलग्न करें।
4. आवेदन–पत्र के साथ माँगे गए प्रमाण–पत्रों की फोटो प्रति (जीरोक्स) भी संलगन की जाएँ। आवेदन–पत्र के साथ उन्हीं प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें जो माँगे गये हैं। उन्हें किसी राजपत्रित (गजेटैड) अधिकारी, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्रधानाध्याक, लोकसभा अथवा विधान सभा के किसी सदस्य अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित कराएँ। आवेदक को आवेदन–पत्र के दोनों प्रारूप (हिंदी और अंग्रेजी) भरकर भेजना अनिवार्य है। आवेदन–पत्र पर यथास्थान अपनी फोटो लगाएँ जो अनिवार्यतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो।

   आवेदन–पत्र पर फोटो न होने पर उसे निरस्त कर दिया जाएगा।

   पिन या स्टेपल से नत्थी फोटो वाले आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।
5. आवेदन–पत्र के साथ अपना एक अतिरिक्त फोटो नत्थी कर दें, जिसे संस्थान द्वारा अभिप्रमाणित किया जाएगा और आपके 'प्रवेश पत्र' पर लगाया जाएगा। प्रवेश–पत्र में माँगी जानकारी साफ–साफ अक्षरों में पूर्ण भरकर भेजें।
6. आवेदन–पत्र पर अपनी नवीनतम फोटो (छह माह से अधिक पुरानी नहीं) लगाना आवश्यक है। आवेदन–पत्र व प्रवेश–पत्र पर लगी फोटो एक समान होनी चाहिए अन्यथा आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
7. आवदेन–पत्र के साथ पोस्टकार्ड नत्थी किया जाए जिस पर आवेदक का पता साफ–साफ लिखा हो, जो कि आवेदन–पत्र की प्राप्ति की सूचना देते हुए उसे वापस भेजा जाएगा। प्रवेश के संबंध में जब भी पत्र व्यवहार किया जाए, उस कार्ड पर दी गई पंजीकरण संख्या और तारीख लिखना आवश्यक है, अन्यथा पत्रोत्तर में देरी हो सकती है।
8. आवेदन–पत्र के साथ भेजे गए सभी प्रमाण–पत्रों की एक सूची संलग्न करना आवश्यक है।
9. **आवेदन–पत्र पंजीकृत (रजिस्टर्ड) या स्पीड पोस्ट डाक द्वारा–कुलसचिव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, शैक्षिक एवं परीक्षा विभाग, आगरा–282005 के नाम पर भेजा जाए।**
10. **निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च तक प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर ही प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जाएगा।**

    इस नियमावली में दिए गए उपरिलिखित सभी नियमों में संस्थान हित को ध्यान में रखते हुए संस्थान के निदेशक द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा परिवर्धन किसी भी समय किए जा सकते हैं।

कुलसचिव

केंद्रीय हिंदी संस्थान,

आगरा–282005

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

संस्थान द्वारा संचालित हिंदी शिक्षण निष्णात, पारंगत, प्रवीण एवं विशेष गहन पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा के प्रश्न–पत्र का प्रारूप (मॉडल)

समय – 3 घंटे **प्रश्न**

खंड–क

विषय–सामान्य ज्ञान

लघु उत्तर वाले प्रश्न (एक वाक्य में)

1. मकबूल फिदा हुसैन क्यों प्रसिद्ध हैं? अंक–25 × 1 = 25 अंक

खंड–ख

विषय–शिक्षक अभिरुचि

लघु उत्तर वाले प्रश्न (एक वाक्य में)

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? अंक–25 × 1 = 25 अंक

खंड–ग

विषय–हिंदी भाषा एवं साहित्य

लघु उत्तर वाले प्रश्न (एक वाक्य में)

1. भारत में संविधान द्वारा स्वीकृत कितनी राष्ट्रीय भाषाएँ हैं? अंक–25 × 1 = 25 अंक

खंड–घ

विषय–हिंदी दक्षता परीक्षण

सार लेखन

प्रश्न 1. निम्नलिखित अवतरण का सार (सारांश) अपनी भाषा में लिखिए और इसका उपयुक्त शीर्षक दीजिए– अंक : 05

गांधी ने अपने अहिंसा सिद्धांत द्वारा भारत के राजनैतिक जीवन में जिस सरलता, पवित्रता और ऋजुता को लाने का प्रयत्न किया है, उसके संबंध में संदेह की जगह नहीं, और मानव जाति के जीवन के लिए जो महान संभावनाएँ दिखला दी हैं, उनका तो कहना ही क्या है। गांधी की शिक्षा आतंकवादी युवकों को सन्मार्ग पर लाने का आज एक प्रधान साधन है। केवल राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय उलझनों को सुलझाने में भी सत्याग्रह का सिद्धांत काम में लाया जा सकता है। चाहे व्यक्तिगत व्यवहार हो, चाहे राष्ट्रीय और चाहे अंतर्राष्ट्रीय। गांधी

बतलाते हैं कि यदि सत्य पर सदैव दृष्टि रखी जाए तो ऐसी स्थितियाँ आ ही नहीं सकतीं जो आदमी को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दे।

....
....
....
....
....
....
....

प्रश्न 2. दिए गए विषयों में से किसी एक पर अधिकतम एक सौ पचास (150) शब्दों में निबंध लिखिए— अंक : 10

उदाहरणार्थ–प्रदूषण की समस्या, राजभाषा हिंदी, छायावाद इत्यादि।

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

प्रश्न 3. निम्नलिखित अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक देते हुए पूरे अवतरण की व्याख्या कीजिए और उसमें रेखांकित अभिव्यक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। (2+4+4) अंक : 10

वस्तुओं का **सौंदर्य–तत्व** उनके **स्थूल उपयोग** से एक भिन्न गुण है। किंतु एक भिन्न दृष्टि से देखने पर सौंदर्य भी उपयोगी समझा जा सकता है। फूल, नदी, पर्वत, बच्चे, कविता और नारी सभी के सौंदर्य में एक **लक्षित प्रभाव** है जो हमारे भीतरी जीवन को पूर्ण करता है। प्रत्येक प्रकार के सौंदर्य को देखकर हमारे हृदय में एक विशिष्ट प्रकार की अनुभूति उत्पन्न होती है जिससे हमारा जीवन समृद्ध होता है।

(ख) उपर्युक्त अवतरण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

प्रश्न (1) क्या सौंदर्य और उपयोगिता एक ही गुण के दो पक्ष हैं?

प्रश्न (2) सौंदर्य को किस दृष्टि से उपयोगी मान सकते हैं?

....
....
....
....
....
....
....

संस्थान गीत

भारत जननी एक हृदय हो, भारत जननी एक हृदय हो,
एक राष्ट्रभाषा हिंदी में, कोटि–कोटि जनता की जय हो।
भारत जननी एक हृदय हो॥ 1 ॥
स्नेह सिक्त मानस की वाणी, गूँजे गिरा यही कल्याणी,
चिर उदार भारत की संस्कृति, सदा अभय हो, सदा अजय हो।
भारत जननी एक हृदय हो ॥ 2 ॥
मिटे विषमता सरसे समता, रहे मूल में मीठी ममता,
तमस कालिमा को विदीर्ण कर, जन–जन का पथ ज्योतिर्मय हो।
भारत जननी एक हृदय हो॥ 3 ॥
जाति–धर्म–भाषा विभिन्न स्वर, एक राग हिंदी में सजकर,
झंकृत करें हृदय तंत्री को, स्नेह–भाव प्राणों में लय हो।
भारत जननी एक हृदय हो॥ 4॥

राष्ट्रगान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता!
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा
द्राविड़, उत्कल, बंग;
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि–तरंग;
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे;
गाहे तव जय गाथा!
जन गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे॥
॥ जय हिंद॥

Prospectus

Admission Guide and Application–form
for the admission to the Teacher's Education Department
in the Regular Courses
Session 2012- 13

Please read the prospectus carefully.
Please do fill in the Application – form, after
the rules as laid down there are acceptable.
No relaxation in rules will be granted in any circumstance.

Central Institute of Hindi, Agra

(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
(Delhi, Hyderabad, Guwahati, Shillong, Mysore, Dimapur, Bhuvaneshwar and Ahmedabad)

© **Central Institute of Hindi, Agra**

Price : ₹ 200.00

Published by the central Institute of Hindi, Hindi Sansthan Marg, Agra-282005
and Printed by M/s The Prints Home, Agra-282004

Content

S. No **Page No.**

1. Introduction to the Institute 32
2. Recognition of the full semester courses organised by the Teacher Education Department of the Institute and General Description of these courses. 37
3. An outline of the Courses 39
   (1) Hindi Shikshan Nishnat (only in Agra)
   (2) Hindi Shikshan Parangat (Agra and affiliated Colleges-Mysore, Guwahati, Aizawl)
   (3) Hindi Shikshan Parveen (Agra, Dimapur)
   (4) Three years Hindi Shikshak Diploma (Two years in Dimapur, Third year in Agra)
   (5) Two years Hindi Shikshak Diploma (Aizawl)
   (6) Special Intensive Hindi Teaching cum Training Course (Dimapur)
4. Rules for the admission 41
5. Rules for the examination 43
6. Rules of the Institute 44
7. Rules of the hostel 45
8. Medical rules 48
9. Library rules 49
10. Necessary Information to the Applicants 50
11. Admission Application Form (in Hindi) 53
12. Admission Application Form (in English) 55
13. Entrance Exam Admit Card 57

1. Institute–An Introduction

With a view to enable and make Hindi active as an official language of the union and link language of the country as per the directive of article 351 of the Construction and performing different roles, the then the Ministry of Education and Social Welfare Government of India constituted an autonomous body viz., Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra on 15th March, 1960 through a resolution. To fulfill the above constitutional obligation Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra started programme of Hindi Teaching and Training, analysis of it as target and source language, comparative study of it with national and international languages and preparation of instructional material for effective teaching through formal, informal and non-formal mode to its learners of different language community. The Mandal established Kendriya Hindi Shikshan College for conducting its educational activities and after that realizing its vastness and uniqueness of functions, changed its name to Kendriya Hindi Sansthan, Agra on 21st Oct., 1963. In the beginning the main activity of Sansthan was to produce qualified, efficient and effective Hindi Teachers throgh its training program conducted for teachers of non-Hindi speaking colleges and schools. In due course to fulfill the orders of the Govt. and requests/demand of Governmental, Semi-Governmental, Non-Governmental organizations. It expanded its horizon of work and functions. Sansthan also started research in language education, teacher training, Hindi language, Hindi Linguistics and comparative literature along with imparting guidance in the activities carried for official language implementation preparation of instructional material, teacher guide for different levels. In the mean time the Government assigned the work of preparing core syllabus for teaching of Hindi at international level which gradually resulted in formation of a separate unit of the activity of Sansthan. Hence forth the activities of Sansthan got widened and it got recognition at the national and international level.

The major educational programs of the Sansthan is given below :

Teaching-cum training courses

1. **Hindi Teachers' Educational Courses:** To raise the standard of teaching-learning of Hindi, to make the teachers and pupil-teachers more competant in the subjects of teacher education alongwith latest metodology & teaching of second language teaching and Hindi language & literature teaching method the following one year regular courses are run by department of teacher education. In addition, to their subjects of teaching, they attain an additional knowledge of up-to-date methods of teaching and new techniques of Hindi language and literature.

   (a) Courses conducted at national level :

   (I) Hindi Sikshan Nishnat- equivalent to M.Ed.

   (II) Hindi Sikshan Parangat-equivalent to B.Ed.

   (III) Hindi Sikshan Praveen-equivalent to B.T.C.

   (b) Conducting the following courses on demand of the States (of Indian Union)

   (IV) **Three Years Hindi Teaching Diploma:** Teaching programmes of the First and Second years are conducted by the Hindi Teachers' Training Institute Dimapur (Nagaland). Third year students

come to Agra for training and after successful completion of this very course they are appointed as Hindi Teachers in Nagaland.

(V) **Two Years Hindi Teaching Diploma:** This course is conducted by the Mizoram Hindi Teachers Training Institute Aizawl for the need of Hindi teachers at the State level in Mizoram.

(VI) **Special Intensive Course:** Teachers, who are highly qualified and do possess language behaviour proficiency, are often deputed by their respective states, and they come for training after deputation.

2. Hindi Propagation Scheme Abroad: For foreign students the following courses are conducted under the exchange programme of Hindi propagation and cultural exchange programme.

(i) Hindi Language Proficiency Certificate

(ii) Hindi Language Proficiency Diploma

(iii) Hindi Language Proficiency Advanced Diploma

(iv) Post-Graduate Hindi Diploma

3. Hindi Proficiency Course: A graduated Scheme is being worked out for those employees and officers as well as for those posted in non Hindi-speaking state for a short period at different centers of the Institute.

4. Courses in the evening (self financed)

(I) Translation Theory and Practical Diploma

(II) Media and Mass-Communication Diploma

(III) Applied Hindi Linguistics Diploma

(IV) Vocational Hindi Courses

Other activities of the Institute

1. Research Oriented Programme: The chief aim of the Central Institute of Hindi is to give constant and perpetual advancement to research:

(I) Research for the modern methodology of Hindi teaching and its development.

(II) Comparative and contrastive studies of Hindi and other Indian languages.

(III) Basic and applied research in Hindi Language and Literature.

(IV) Innovation in Language and information technology.

(V) Studies in Hindi Socio-linguistic survey

(VI) Research-work related with functional Hindi.

Along with the above research work sansthan also prepares useful teaching materials for teaching of hindi as a second and foreign language.

2. **Hindi Teaching used in the special usage area:** Hindi teaching is conducted for the officers of the Central Govt. Bank employees, teachers and officers serving as official language officers and remedial materials are prepared to make them competent in their respective areas.

3. **Research oriented survey of functional Hindi:** To establish a standard-norm of Hindi by way of diversified language strata, scientific Hindi, Technical Hindi, commercial Hindi used in correspondence and minutely related vast and varied styles of Hindi with their analysed forms and to set up for the development of projects, and schemes that are research oriented.

4. **Material production for teaching and language development:** The Central Institute of Hindi does research work on the material preparation for useful books, bilingual dictionaries, preparing grammatical treatise on the methodology of modern techniques, besides its usual routine work of teaching-cum-training and related research projects.

   (I) Material production for Hindi teaching in the non-Hindi speaking states and for the schools of tribal areas.

   (II) A contrastive grammar and bilingual learner's dictionaries for non Hindi speaking states.

   (III) Preparation of the text-books for Hindi teaching as a foreign language.

   (IV) Preparation of Hindi language material on computer-based data.

   (V) Preparation of Hindi learning materials through audio-visual aids.

   (VI) Preparation of Encyclopaedia, bilingual/trilingual dictionaries for Hindi and non-Hindi speaking states.

5. **Consultation Service :** specializes consultation is offered to different Govt. agencies, in order to advance the levels of Hindi teaching in various domains..

Extension programmes of the Institute

With a view to exchang the ideas and keeping in touch with harmony.

(I) the Institute and its respective centres organize special lectures of the experts and conduct work-shop to achieve the goals.

(II) National Seminars are organized every year with the aims and objectives of initiate all India dialogue and extensive language and cultural exchanges of ideas. (I) Problems of publication in India (II) Problems of magazines (III) interrelation between art and literature (IV) Women's problem (V) Five seminars for the progress and development are organized pertaining to the problems of Dalit class, backward class and tribal literature. Besides there, five national seminars are organized at the different centres on these topics (I) Linguistics (II) Information technology (III) Hindi teaching (IV) Media (V) Literature

(III) An All India Debate and Essay-writing and Poem recitation competition are organized for the students by the Institute.

(IV) Cultural competitions- Hindi poem recitation, poem lyrics, regional and folk lores of different countries, dance on fiction, one act play drama etc. – are arranged by the Institute.

Publication of the Institute

Useful books have been published by the Institute on Hindi Language and Literature, Linguistics, Applied Linguistics, Comparative and Contrastive studies, Language and Literature-Teaching, Lexicography. More than one hundred and fifty books are published by the Institute so far. Many text-books, ancillary text-books and teachers' guides are published in addition to the books mentioned above

The following magazines are regularly published by the Institute :

(i) Gaveshna : A quarterly magazine containing research papers on applied linguists, Hindi teaching and literature (93 issues have come out so far).

(ii) Media: A quarterly magazine of Delhi Centre (publication since 2006 AD)

(iii) Samanvaya : North-eastern a combined six monthly magazine of Guwahati, Shillong and Dimapur Centres (publication since 2007 AD)

(iv) Samanvaya Dakshinayana: a joint annual magazine of Hyderbad and Mysore Centres.

A quarterly magazine of the Institute (HQ AGRA) is Sansthan Samachar. In addition to above, the students contribute to the magazine-named Hindi Vishwa Bharti and Samnavanya published annually.

Main Projects of the Institute

The two departments of the Central Institute of Hindi, Agra, namely 'Research and Language Development Deptt. and Information and Language technology deptts as well have conducted some of the following projects :

(1) **Hindi Corpora Project:** Collaction of materials from the books published by different fields of Hindi and materials online is being done by the Central Institute of Hindi, Agra and the Central Inst. Of Indian Languages Mysore. A target of three years project scheme has been accomplished in the second year of the project by collection of 20 million words (2 crores). Now automatic grammatical categories are being sorted out of the collected material. By the use of these collected materials, A digital Hindi/ English Dictionary and Basic word- vocabulary are being compiled.

(2) **C.D. Preparation Project:** (i) The work is proposed in many phases for this project. The C.D. is to be prepared on the books of the poem recitation, frequency of poem and lyrics of 22 litterateurs at present. The main litterateurs among these are : Kabir, Surdas, Tulsidas, Meera, Nazir, Ghalib, Firaq Gorakhpuri, Nirala, Mahadevi Verma, Agyeya, Trilochana etc. (ii) Hindi multi-media C.D. is being proposed.

(3) **Hindi Folk Literature Project:** A project of Dictionary Compilation containing 48 dialects, sub- dialects has been undertaken in this ambitious scheme. So that unique embellishment of resonant elegance and emotive elegance could be protected of these words of folk-languages. This will not only keep alive the prime roots of Hindi sub- stratun culture but will strengthen the integrity of Hindi.

The preparation of dictionary involves ultra-modern technique in collecting materials from Braj, Awadhi, Bhojpuri, Rajasthani and Chatthisgarhi in the first phase of the said project.

(4) **North-eastern folktales literature-project:** Compilation of folktales as attested in languages of North-eastern region and publication of the translation of these folktales have already commenced, so that the people of North-eastern zone could retain their traditional legacy for their cultural identity.

Honour to (Hindi Sevi) persons rendering exemplary services to Hindi language: The project had its beginning in 1989 AD. Fourteen litterateurs who are stoutly devoted the cause of progress, development and propagation of Hindi by their exemplary contributions to the Hindi language and literature on national and international level are awarded ₹ 100000/- (one lakh rupees) in cash, a shawl and a citation for their distinguished contribution in their respective areas. The details of these award are as under:

1. Ganga Sharan Singh Prize
2. Ganesh Shankar Vidyarthi Prize
3. Atmaram Prize
4. Subrahmanyama Bharati Prize
5. Maha Pandit Rahul Samkrityayana Prize
6. George Grierson Prize
7. Padma Bhushana Dr. Moturi Satyanarayana Prize

Institute Library

The library of the Institute is one of best Hindi libraries from the point of view of collecting special books on Linguistics, Applied Linguistics, Hindi teaching and Hindi Literature. There are about one lakh books and about 75 magazines are procured monthly. Its new reference-wing is unique. On the birthdays and anniversary of the poets and writers a book-exhibition is organized for week-end exhibition for literary discussion of the respective writers.

Training colleges affiliated to the Institutes

1. Govt. Hindi Teachers' Training College, North Guwahati (Assam)
2. Govt. Hindi Teachers' Training College, Aizawl (Mizouram)
3. Govt. Hindi Teachers' Training College, Mysore (Karnataka)
4. Govt. Hindi Teachers' Training Institute, Dimapur (Nagaland)

A Three year Hindi Teachers' Diploma Course is prepared to train Hindi Teachers of Nagaland, as per request of Nagaland Govt, and the teaching materials are prepared by the Institute. A Two year Hindi Teachers' Diploma Course is also prepared on the request of the Mizoram Govt. The examinations of both the courses are conducted by the Institute and academic council and committee appointed. Today the Central Institute of Hindi stands on a high pedestal for teaching-training, basic and fundamental research and in the area of applied linguistics too.

2. Recognition of syllabi with full semesters in the Teachers' teaching-cum Training Unit and their details

No. F.3-28/2003-DI (L)
GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Human Resource Development
Department of Secondary & Higher Education
(Language Division)

............New Delhi, 25th November, 2003

Subject : Recognition of the examination of Kendriya Hindi Sansthan, Agra for purpose of employment of Hindi Teachers.

1. The undersigned is directed to say that for teaching Hindi on Scientific lines, producing efficient Hindi Teachers and providing facilities for research in Hindi Teaching Government of India established under the Ministry of Education (now Ministry of Human Resource Development) a fully funded Autonomous Organisation namely the "Kendriya Hindi Shikshan Mandal at Agra, in the year 1960. For achieveing the aforesaid objectives, the Mandal runs the 'Kendriya Hindi Sansthan' With its regional Centres in Delhi. Mysore, Hyderabad, Guwahati and Shilllong.
2. The question of recognition of the Teachers training courses viz. Hindi Shikshan Praveen, Hindi Shikshan Parangat and Hindi Shikshan Nishnat run by the K.H.S.M., Agra for the purpose of employment under the Central Government was considered in the Ministry some years ago. In the year 1967. Government of India decided in consultation with the U.P.S.C. and the Ministry of Home Affairs to recognize the following courses of study of the K.H.S.M., Agra as equivalent to those note against each for the purpose of employment under the Central Government vide Ministry of Education, New Delhi OM No. 24-6/64-H.I. Dated 12th April, 1967, (Copy enclosed) :

Name of the Course	**Equivalent to**
1. Hindi Shikshan Praveen	Teacher's Training Certificate/Diploma.
2. Hindi Shikshan Parangat	B.T./B.Ed. Degree of an Indian University
3. Hindi Shikshan Nishnat	M.Ed. Degree of an Indian University.

3. The Recognition of the examinations as mentioned will however, was limited to specific purpose of teaching Hindi in High School/Higher Secondary School/College and training Institution etc.
4. In purpose of Ministry's this letter, State/U.T. Administrations also issued necessary orders for recognition of aforesaid courses in their respectively States/U.Ts. The recognition of aforesaid courses of the K.H.S.M.,-Agra Still continues. States are again requested to take necessary action in this regard in respect of their State/UT at the earliest and inform this Ministry there about.

The receipt of this may kindly be acknowledged at the earliest.

(A. R. HAREA)
UNDER SECRETARY OF THE GOVT. OF INDIA.

To

The Secretary,
All Ministeries/Deptts.

Copy forwarded for necessary action to :

1. The Principal Secretaries/Secretary, (Education) All States/U.T.
2. Ministry of Home Affairs, New Delhi with reference to this correspondence resting with U.O. No. 1149/67-Estt. (D), Dated the 24th February, 1967.
3. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi with reference to this letter No. F. 1/7/66 RR, Dated the 24the January, 1967.
4. The Secretary, Staff Selection Commission, C.G.O. Complex, Lodi Road, New Delhi.
5. The Secretary, Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Gandhi Nagar, Agra.
6. All attached and subordinate Office and Sections of the Ministry.
7. All Autonomous Organisations under Ministry of Human Resource Development.

UNDER SECRETARY OF THE GOVT. OF INDIA.

Details of the Courses

(1) Hindi Shikshan Nishnat: This course is equivalent to M.Ed. The duration of this course is one year only. The course is being presently conducted at the HQ Agra only.

Qualifications for Admission

Minimum and necessary qualifications to the course are stated below:-

(i) B.A. with Hindi as a main subject.

(ii) B.Ed./ L.T. with Hindi method or Hindi Shikshan Parangat.

(2) Hindi Shikshan Parangat

The course is equivalent to B.Ed. The duration of the course is one year only. At present, this course is being conducted in Agra (HQ) only. The affiliated colleges of the Institute also run the same course.

1. Govt. Hindi Teachers' Training College (North Guwahati)
2. Mizouram Hindi Teachers' Training institute, Aizawl
3. Govt. Hindi Teachers Training College, Mysore

Qualifications for admission

Minimum and necessary qualifications are as below:

B.A. with Hindi as a main subject

Or

(i) Graduation (B.A./B.Sc. / B. Com.) in any subject

(ii) Intermediate with Hindi from a Board **Or** Hindi Shikshan Praveen from Kendriya Hindi Sansthan.

(iii) B.A. level diplima in Hindi recognised by Govt. of India (Vidwan, Ratna, Shastri etc.)

(3) Hindi Shikshan Praveen

The course is of BTC level. Duration is one year only. This course is conducted at Agra and Dimapur Centre only.

Qualifications for admission

Intermediate (Higher Secondary, Pre-University) with Hindi

Or

(i) Intermediate (Higher Secondary, Pre-University) in any subject

(ii) High School with Hindi from a board

(iii) Intermediate level certificate in Hindi recognized by Govt. of India (Kovid, Bhushan, etc.)

(4) Three Year Hindi Teachers' Diploma

The course is especially conducted for Nagaland state. This course is initially conducted for a period of two years consecutively in the Govt. Hindi Teachers' Training Inst. Dimapur (Nagaland) and training for the third year is imparted in Agra (HQ). H.S. Passed (Hindi as main subject) is an essential qualification for the admission to the first year.

(5) Special Intensive (equivalent to Diploma)

The course is designed for those teachers of North- eastern states who are placed as Hindi teachers in the Govt. schools, but they do not possess any formal degree.

Duration of the course is one year only. This course is conducted at Dimapur (Nagaland)- a centre of the Central Inst. of Hindi, Agra. It is obligatory for the teacher- pupil to be deputed prior to their admission.

Qualifications for admission

H.S. passed (Hindi as a main subject) or H.S. passed with any subject and HS or Intermediate equivalent Hindi Diploma (passed)

3. An Outline of the Courses

(1) Hindi Shikshan Nishnat

(a) Compulsory papers

1. Philosophy of Education Sociolinguistic and Linguistic backgrounds	80+10+10=100
2. Education- Psychology and Psycho-linguistics	80+10+10=100
3. Techniques Education and Second language teaching	80+10+10=100
4. Linguistics and tradition of oriental linguistics (Indian)	80+10+10=100
5. Hindi Structures	80+10+10=100
6. Research Methodology and Domains of Lingustic Research	80+10+10=100
7. Dissertation and a Viva-voce	75+25=100

(b) Optional papers

Select one of the following subjects:-

1.	Language testing and Evaluation	50+30+10+10=100
2.	Contrastive and error analysis	50+30+10+10=100
3.	Literary analysis and Teaching of Literature	50+30+10+10=100
4.	Computer Oriented Hindi Language Resources	50+30+10+10=100
5.	Material Production (with ref. to Hindi)	50+30+10+10=100
6.	Functional Hindi	50+30+10+10=100

(2) Hindi Shikhan Parangat

Examination is conducted in two groups namely theoretical exam containing 700/800 marks and practical exam of 300 marks only. The students opting for methodology as an additional subject will have to appear in 800 marks for their exam. In theory and150 marks in the practical test in which 75 marks will be for an internal exam and 75 marks for an external test. Such students will have to appear for 75 marks internal test and 75 marks for an external test.

(a) Theoretical section

Compulsory Question paper

1.	Education- theory, Academy administration and Management	80+10+10=100
2.	Education- Psychology and Indian Education- History and Problems	80+10+10=100
3.	Language Teaching Methodology	80+10+10=100
4.	Linguistics	80+10+10=100
5.	Hindi-Structures and Contrastive Methodology	80+10+10=100
6.	Language Improvemat	80+10+10=100
7.	Hindi Literature	50+30+10+10=100
8.	Optional Paper (Kannad / Odiya)	80+10+10=100

Note : 80 marks are allotted from Question- Paper no 1 to 5 and 7 for the annual exam. and 10+10 marks for two internal examinations (i.e. 10 marks each **).**

Question Paper No 6 assigns 40 marks for the Written test,

40 marks for the annual viva voce exam

10 marks for the 1st internal exam

10 marks for the second internal exam

Additional : one question paper

9. According to the needs of the respective State- second language Teaching Methodology (only languages) 80+10+10=100

(b) Practical Section Teaching assignment and other activities **300 marks**

(i)	External exam (Skill+ Literature)	75+75= 150
(ii)	Internal exam (Skill+ Literature)	75+75=150
(iii)	Offering only Hindi ————	Distribution of marks

(b) Those who offer Hindi methodology with Lg Methodology have (Kannada and Oriya- are applicable to offering Methodology as a Second choice)

Second Language Methodology in Hindi	External	Internal
Skill Lessons- 20	75	75
Literary Lessons- 20	75	75

(3) Hindi Shikshan Praveen

(a) Theoretical part **700 marks**

1.	Education-theory : Education administration and school Organisation	80+10+10=100
2.	Education- Psychology and Indian education	80+10+10=100
3.	Language teaching	80+10+10=100
4.	Structures of Hindi Language	80+10+10=100
5.	Language awareness (improvement)	60+20+10+10=100
6.	Hindi literature	80+10+10=100

(b) Practical part: Teaching assignment and co-curricular activities **300 marks**

(1)	External exam	150 marks
(2)	Internal exam	150 marks

4. Rules for the admission

1. The applicants should dispatch herein enclosed application and admission form to the Registrar, Kendriya Hindi, Sansthan, Hindi Sansthan Marg Agra 282005, upto 31st March for the ensuing session of the different courses. There will be no consideration after the last-date (31st March).
2. It is essential to attach the true copies of the certificates (degrees) with the application form.
3. Teachers in-service will be directly admitted to the courses, if they are deputed by the State Govt.& Govt. Schools.
4. Pre-service applicants for Hindi Shikshana Praveena will be admitted after passing a written test. Test for admission will be in the 1st/2nd week of June and information for the place of the test will be informed according to the address given on the correspondence address. A model for the question-paper of the test will be as follows:

Section (a) General knowledge	25 marks
Section (b) Teachers' attitude/aptitude test	25 marks
Section (c) Hindi language and literature	25 marks
Section (d) Hindi language proficiency test	25 marks

   A specimen for the model of question paper is displayed on p. no. 59

   No T.A. &D.A. will be given to appear in the test for admission.
5. Admission will be strictly granted on the basis of marks obtained in the different courses. That will be solely decided according the reserved quota and seats allotted to respective states.
6. The applicants selected after admission-test have to submit their certificates obligatorily at the time of admission in the choosen course.
   (a) Original certificate of the academic qualification
   (b) A certificate for date of birth
   (c) Relieving letter from the service-agency (institute) if he/she is employed there.
   (d) Medical certificate (related to health) No pregnant woman will be admitted to the course.
   (e) Character Certificates issued by two distinguished persons
7. Entrants will have to deposit a sum of Rs.500/- (Five hundred rupees only) as caution money and hostel caution money Rs. 2000/- (Two thousand rupees only). One can refund a claim within a month only after completion of the session (the course in which admitted).
8. If an applicant happens to come to the Institute without being informed, then it will be his sole responsibility. Applicants of this category will not be allowed to stay in the hostel.
9. Trainees will not be allowed to propare themselves to appear in another examination. A trainee will be expelled from the Institute, if he/she is found to prepare himself/herself in another exam/test and the amount of scholarship/ stipend awarded to him for the said period will be taken back.
10. Information, furnished by the trainees in the application-form and the certificates presented by them, could be investigated. His/her admission will be cancelled if he/she is found to have furnished wrong information and submission of illegal certificate (degree). The whole amount of scholarship/stipend will be forfeited in such a situation.

11. Pregnant woman will not be granted admission in a course of full session/semester.

12. There is a suitable facility for the medical treatment/diagnosis of a student in the Institute. He/she has to bear the whole expenses incurred in the hospital for his treatment. The Institute will not pay for any outdoor bill. The Institute will not bear the cost of medical treatment for specific diseases.

13. The student has to bear the expenses incurred during his sickness admitted in emergency ward in the hospital, if he has been already developing a disease prior to his admission in the Institute. Diagnosis of a disease will be valid only after a medical certificate/report (panel of doctors recognized by the Institute)

14. Each and every trainee is expected to bring with him/her woolen clothes for wearing, a suitable mattress and a mosquito net suiting the needs of North Indian climate.

15. Prospectus containing an application and admission form as well attached at the end of the book are available at the head Quarter, Agra.

Rules for Scholarship/Stipend

1. Trainees admitted for the said courses will be a recipient of Rs 2000/- per month at the HQ and at her centres. As against to it those trainees admitted in the colleges of the states and affiliated Govt. Colleges are never entitled for it.

2. Scholarship/Stipend will be deducted from those who are absent on the working days from the amount of scholarship.

3. Rs 20/- will be deducted from the amount of scholarship for absence in one period in the class and Rs 50/- will be deducted for absence in two periods consecutively.

Rules for Casual Leave

1. A casual leave of eight days will be granted on the ground of very important cause. This is not a privilege but will be granted on circumstantial reasons and no scholarship will be given for such a period.

Rules for Mid-term Leave

1. A leave of two weeks for mid- term (leave) will be granted in the whole academic session. Announcement for the dates will be made in the beginning of a calendar year.

2. Those students, who are absent five days before mid- term leave or after will not be awarded scholarship for the said period. Admission for those who are constantly absent for ten days will automatically lapse and such students will be relieved from the courses.

Information in General

1. As for the degrees of the Institute are important, the other certificates issued by the Institute are equally important. The Institute besides its regular formal teaching conducts co-curricular teaching works namely Literary society, Extension lectures, Seminars, Cultural organization, Annual sports and games, Cultural and Literary competitions, Scouts and Guides programme, and Educational tours as well.

2. A magazine named, “Samanvaya” of the trainees of the Teachers’ Education department is published annually, which contains essays, poems, short-stories, anecdotes, etc.written by them.

5. Rules for the examination

1. The examination of the Institute will be held on the announced date at Agra and other centres of the Institute as per order of the Mandals as per need.
2. Separate divisions are allotted for the Theoretical and practical Examinations viz. Paranget, Praveena and Three years Teachers' Diploma. It is compulsory for the students to obtain 40 percent of aggregate marks in the exam. The student has to obtain 35 percent of marks in the special paper offered by him.
3. Facility for review is permissible. Review of the question-paper could be done within one month of the date of question-paper. A sum of Rs 200/- will be realized from the student.
4. Compartmental examination will be conducted for those who happen to fail in two subjects only within a period of three months after the last date of examination concerned. A sum of Rs.550/- as compartmental exam fees will be realized from the student within a period of two months only after the date of main exam. Only one attempt will be permissible for the compartmental exam.
5. A student can appear, maximum in the two papers only for the improvement of his exam result. These marks will be awarded for the next coming exam. He has to pay an addition exam fees Rs.300/- per paper.
6. The following divisions will be awarded as per slab of marks, for all the examinations, conducted by the Institute.

First divisions	:	60 percent and above
Second division	:	48 percent and above
Third division	:	40 percent and above

   If a student obtains 75% or above in the aggregate of exam papers, he will be awarded a certificate showing, "1st class/division with distinctions"
7. The trainees have to submit the prescribed application form duly filled in, by 30th November for the ensuing exam. He has to submit a Bank-draft(Demand draft), "addressed to Sachiva, Kendriya Hindi Shishana Mandal, Agra" or he has to deposit in cash in the Accounts Deptt., Kendriya Hindi Santhan Agra and the receipt is to be attached with the prescribed application-form of the exam.
8. Those who fail to submit an application cum admit form of the exam, by 30th November, they can submit their application –cum-admit form upto 15th December by paying additionally a sum of Rs.50/- only. No application-cum-admit will be entertained after the expiry date the 15th December in any case.
9. In case, if the application-cum-admit card form is lost or spoiled, a duplicate form could be obtained by depositing a sum of Rs. 50/- only.
10. Those desirous of appearing in the compartmental exam (Purak Pariksha) should ask the comptroller of exams, Kendriya Hindi Sansthan Agra. It will be the sole responsibility of the candidate to ask for the application-form for the said exam and to dispatch the application form of the exam after properly filled in and in the stipulated time only. The candidate asking for the exam application-form should send an application with an envelope of 23× 15 CM attached with a postal stamp of Rs. 50/-only.

11. The Annual exam records are kept alive for a period of three consecutive years and after that they are destroyed in toto.
12. The annual exam scheme is chalked out by the Exam. Deptt. and the internal examinations are conducted by the respective departments only.
13. Errors in the Annual Exam are remedied within a period of three months after the last date of previous exam.
14. If a candidate is unable to appear in the annual exam on medical grounds after filling in the application-form for the exam and he furnishes an advance information to the exam deptt, he will be entitled to appear in the next ensuing exam after filling in the required application-form. This permission will not be applicable to the following years. It is to be noted that only one opportunity is given to a candidate on medical grounds.
15. If a candidate is found copying (foul means) in the exam, his candidatures of the said exam will be terminated by a committee appointed by the Director of KHS Agra. The decision given by displanay commitee could not be challenge any level.
16. Theortical and practical marks of second methods (Kannad/Uriya) will not be shown along with the merrits of the compulsory subject for fixasission of division . However they will be shown seperately on the same marksheet.

6. Rules of the Institute

1. Since all the courses are conducted under the residential scheme, therefore cent percent presence of the ward is obligatory.
2. Only those wards will be eligible to appear in the examination, who have 90 percent attendence.
3. No ward (trainee) will be permitted to go out of the city.
4. It will be mandatory for the wards to be present in the co-curricular activities like literary, cultural functions, concerts, seminars and festive occasions. Absentees will be liable for punishment.
5. An internal examination will be conducted twice during session that will be approximately in the later half of October and first half of March. It will be compulsory to appear in the exams for each and every ward.
6. Those student who do not exhibit a satisfactory progress in the internal exams in the session and behave against the regulations of the intitute, can be expelled from the Institute at any time.
7. Every Students has to deposit a sum of Rs 1500/- as Hostel fees in one instalment at the time of admission.In addition, he/she has to deposit Rs 1000/-as Caution money.
8. A preparation leave for ten days maximum will be given to the ward prior to the Annual exam. No ward will be allowed to go outside the city.
9. A student found breaching the disipline will be expelled in addition to monetory fine and he has to refund the whole amount of scholarship/stipend given to him.
10. Every student has wear the uniform as approved by the teachers Education Deptt.daily in his/her classroom and in the training period in the schools- as allotted to him. He will not be allowed to enter the class without putting on an approved uniform and he will be considered as an absentee in the class. The approved uniform is as followes :

(a) For female trainees (wards) A Saree of 4" border having navy blue colour, a blouse of navy blue colour or a white salwar, a kurta of navy blue colour and white chunni, sweater of navy blue colour, a lady shoe of black colour, chappal/sandle (black colour).

(b) For male trainees (wards) Grey pant, white shirt, navy blue sweater or coat, black shoes and white socks.

11. Duration of the classes (Monday to Friday) will be as :

    (a) Arrival and occupying the seats 9:45 to 9:50 a.m.

    (b) Prayer to Goddess Saraswati/ Sansthan song coupled with national anthem 9:50 to 10:00 a.m.

    (c) Classes in morning 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

    (d) Recess: 1:00 pm to 2:00 pm

12. Scouts and Guide training is compulsory to each and every trainee (ward). The Teachers' Training Deptt. Organizes it at the Head Quarter and the centres for their respective trainees- as the case may be.

13. Coordination and Cooperation is a must for the trainees in the Educational tours, because it is a compulsory co-curricular activity.

    The Educational tour is organized by the Teachers' Training Deptt for academic and literary enrichment, to the places of culture, historical and geographical relevance. The Institute will give Rs 500/- as an expenditure for the each trainee going on an educational tour the rest of the expenditure on tour to and from will be borne by the trainee (- shared by each taking into account as a whole on the tour). Local academic tour will be free of charge.

7. Rules for the Hostel

1. There is a provision of a hostel for each and every trainee, admitted in the Institute, for a particular course. He/ she has to compulsorily deposit in hostel Rs 1500/-. (One thousand five hundred fifty only) as Hostel fees for amenities. It is obligatory for the trainees to stay in the hostel. If a trainee (ward) wishes to stay outside the hostel premise because of some unavoidable circumstances, he/she has to take prior permission of the Director of the Institute. An outside trainee (ward) will not be entitled any facility or convenience residing outside the hostel premise and if he/she faces a loss or inconvenience, then the Institute will not be responsible in any case.

2. No trainee (ward) will be allotted a single occupancy room only. He/she has to share the room with other trainee.

3. (a) Every student has to deposit a caution money of Rs. 1000 only at the hostel office during admission. No interest will be payed on this amount. This amount will be returned at the end of course after deducing any charges.

    (b) There is an arrangement of vegetarian meals in the mess of a hostel and the mess is run by the representatives of the students. The wardens of the respective hostels will guide for administering the mess. The accounts of the expenses of a mess will be maintained by the representatives of the residents according to the suggestions of a hostel assistant, of which the warden can inspect at any time.

(c) The student-representatives will submit the accounts-sheet at the end of a mouth in the Warden-office. The committee of the student-representatives will be selected in the third week of a month under the presidentship of a warden. The warden will declare the rules of the mess in the beginning of a month. Failure of payment of the mess-expenses will cause forfeiting the amount from his/her scholarship/ stipend.

(d) One has to consume one's meal in the mess-dining hall. Taking out meals from the mess is absolutely prohibited and no trainee (ward) is permitted to prepare meal or tea in his/her room. It is compulsory to take meal in the prescribed meal-time only. The trainees will take no article of the mess away from dining hall. Strict disciplinary action will be taken on defying these orders.

(e) If a trainee (ward) happens to go out of Agra city, he/she should inform in writing to the students' representatives and the warden as well. No rebate from the mess-charges will be done for a period of less than three days, and rebate will be permissible for staying out more than three days only.

(f) The mess-employees will necessarily take their meals in the mess only. No mess-charges will be realized from them.

4. Usually contagious diseased Trainees will not be granted admission. After admission to the course if a trainee is afflicted by a contagious disease, he has to live separately from the hostel.

5. It is completely prohibited to go outside hostel from 7.00 pm to 6.00 am. Besides their studies, he/she has to write in the Register the time for going out and coming in the hostel. In a very special case a trainee having sought the permission of a warden he can go out of the hostel from 7.00 pm to 6.00 am.

6. Intoxicating articles are totally prohibited in the premise of the Institute. If a trainee is found guilty in using intoxicating article then he will be exspelled from the Institute ipso facto.

7. If a trainee's character is found as a dubious one and unsatisfactory, he will be expelled from the Institute.

8. No outsider can stay in the hostel as a guest.

9. No trainee can interchange hostel-material/articles allotted to him and a room without a prior permission of the warden.

10. If a trainee (ward) incurs a loss to a material of the Institute, then he has to pay for the same in cash.

11. Electric bulbs are given to the trainees in the beginning of a session. In case, if it fuses then he has to replace it. The newly replaced bulbs should bear the watts equal to the earlier ones.

12. In addition, if he uses an electric appliance it is a penal crime of unlawfully using other electric appliance/ instrument. In a special circumstance he/she can seek permission after having deposited an additional fees for electricity.

13. It is absolutely prohibited to use a heater of any type in the hostel. If inspected a stove or heater in the trainees' room is seen, then he/she will be punished and his stove/heater will be forfeited.

14. The warden will appoint monitor for each floor of the hostel. These monitors will perform their duties taking assistance of other trainees.

15. There is a provision of hostel assistant and ward boys as well to discharge the duties of the hostel, where duties are assigned by the warden.
16. The warden will call for attendance-role of the wards in the evening 6:00 to 6:30 pm. The trainee can lodge their complaints in writing about difficulties prevalent in the hostel.
17. All the wards should bring their mattress and necessary woollen and usual clothings, blankets etc. Cots, cushioned mattress, pillow and quilt in winter season will be supplied to them. They are not at all permitted to take these articles outside their rooms. The wards should use all the materials supplied to them and should return back to the hostel assistant after a scheduled time. The wards should have to necessarily make payment for the loss or deformation of the materials.
18. If by chance the wards have a complaint against the hostel or employees in-service, then they should lodge a written complaint to the warden directly.
19. No ward whether male/female will permit an outsides (whether he/she is an employee of the Institute), to his/her room. He/she will meet him/her in the guest room. If somebody's guest- brothers- female friend/friend happens to come in the hostel, he/she has to furnish a written application to the warden or hostel assistant. After having been sanctioned the permission he/she can enter the room. The usual time for the guest is in between 5:30 pm-6:30 pm. Those guests wishing to meet the wards have to sign in the visitor- book their names, address and time. The persons (wards) with whom the guest are meeting, will have to necessarily sign in the Visitors-book.
20. No trainee (ward) is allowed to permit his guest or members of his/her family to live with/her in the hostel-room. The warden will arrange their stay for lodging and boarding in case the seats are available. They have to pay an additional payment for the expenses incurred by them according to the Institute's rules. The guardian will be allowed to stay maximally for three consecutive days.
21. No trainee is advised to bring with him/her costly article/jewellery etc.
22. The trainees/wards can go out the hostel after having furnished information to the warden on every Sunday and Gazetted holidays from 10:00 am to 6 pm.
23. Geysers, taps of bathing-room and toilets are to be compulsorily closed after proper use.
24. The trainees (wards) will be granted permission to stay in the hostel maximally for three days after completion of the courses. If it happens very essential to stay for more days than the permissible ones, they have to obtain a permission either from the Registrar/Director for which they have to pay extra as per rule. The grace-facility will not be more than two days. There will be no mess facility after completion of the course.
25. If need be there, the Director, Chief Warden, Registrar, warden can inspect a room of a trainee/ward at any time or on any day.

    It is mandatory for all the trainees/wards to follow the rules and regulations of the Institute. These defying these rules and regulations will be expelled from the Institute.

Declaration-bond

I Sri/Smt./Miss/Km. ……………………………. Son/daughter of ……………………… hereby declare that I have thoroughly read the Prospectus of the hostel in detail and I hereby fully assure you that I shall follow and abide the rules entirely to the best of my spirits.

Date......................

Signature of the applicant

Name of the applicant

Applicants' class

N.B : All the pupil-teachers have to compulsorily fill in the Declaration bond at the time of admission to the desired course.

8. Medical Rules

1. There is a provision of medical facility for the trainees (wards) living in the hostel in the days of their sickness. The doctors appointed by the Institute comes in the Institute room and conducts a diagnosis of the wards.
2. The trainees have to get themselves treated by the Medical doctors appointed by the Institute. They can get themselves treated by the outside medical doctors in case if (1) the doctors are on leave (2) or at a time when it is not possible to call them back to the Institute. The warden can manage to send these wards to a Govt. hospital or get them diagnosed by the doctors, who are duly appointed by the Institute. Such a treatment will be valid either for a day or two or for such a period as long as the appointed doctors of the Institute are on leave. The Institute will bear the Medical expenses in accordance to the Institute's Rule.
3. If a trainee/ward happens to consult an outsider doctor at his/her own will, then he/she has to bear the Medical expenses herself/himself at his own.
4. Above rules will be operative for a course having a duration of three or more months. Less than the period stated above, medical diagnosis will be limited to the panel of Institute's doctors.
5. A fees of Rs 50/- Fifty rupees is realized from each & every trainee/ ward for the cost of medicines and doctor's fees as well.
6. To grant a medical leave will be solely dependant on the medical certificate issued by the panel of doctors appointed by the Institute.
7. Expenses incurred on long treatment, surgery operation, expenses for admission in the hospital as a patient will not be borne by the Institute in such a prescribed cases.

9. Library Rules

1. The library will open on all working days according to the scheduled time as declared.
2. The wards of Nishnat and Paranget have to deposit a caution money of Rs 500/- (Five hundred rupees only) for being a member of the library. No interest will be paid. This amount will be refunded to a ward while leaving the Institute. The library reserve the night to deduct the due amount from this caution money in case if the amount of its library is payable to the Institute as per rule. The research scholars have to deposit Rs 700/- (Seven hundred rupees only) as Caution money.
3. A duly registered member of the library will borrow the books as per slab mentioned as following:-

(a)	Trainees/wards/pupil-teachers of Nishnat	5 books (Five only)
(b)	Trainees/wards/pupil-teachers of Paranget	5 books (Five only)
(c)	Trainees/wards/pupil-teachers of Praveen & Three years courses	5 books (Five only)
(d)	Research Scholars	5 books (Five books only)

4. Books will be issued to a trainee for a period of 15 days only and to the research scholars and members of a Teaching Staff for 30 days. They have to return the books compulsorily after the prescribed period. A member can get the book reissued if is a dire necessity; only once a book can be re-issued.
5. The librarian reserves the right to lessen the period of borrowers on demand of the books and can demand the book before the prescribed period and can refuse to re-issue the book.
6. Reference books-dictionaries, research books will not be issued for home lending. A book whether reference-back is solely dependant of the discretion of the librarian only.
7. On demand of a book, it is to be returned to the library within 24 hours (twenty four hours) only. Denials of a book on demand from the library or not returning the book in the stipulated period by a borrower, the library reserve the right to stop this facility of issuing book to the borrower. To continue as a member again for the library, the borrower has to seek the permission of the Director of the Institute. A trainee/ward has to pay a fine of Rs.1/- (Rupees one only) per day for delay in returning the book after the stipulated period (allotted to him/her).
8. A borrower/reader will not be allowed to take at the library-latest issue of a recent timely magazine and research journals.
9. A member of a library will be responsible to keep the book in-tact after having borrowed the book/magazine, reading materials etc.
10. A member has to pay penal fine of a book, in case the book is lost, torn, spoiled, missing its pages, on the following grounds :
    (a) If a latest edition of the lost book is available (not later than three years), then the price of two times will be realized from the borrower.

(b) If the book is published less than 10 years (ten) before or ten years, a penal fine will be five times of the original price of the book.

(c) If a time has elapsed ten years or more than it after the publication of the book then a penal fine of ten times of the original price of the book will be realized from the borrower.

(d) A penal fine will be charged form the borrower in case of a book lost, its recovery will be decided when the book was purchased in a foreign currency; the price at that time will be interchanged with the price of the book in modern time according to controvertibity of a foreign currency. The rules will be operative as mentioned above

11. A member has to obligatory pay penal fine, for a loss if a volume is being spoiled a in the series of multi-volumes, for the price of whole set of series. The member in question can submit the related volume as being torn, spoiled.

12. The members will not enter the library or reading-room with their personal belongings (books, bag, files, etc).

13. The members who procure the library cards these are not transferable. Security of these cards is the prime responsibility of the members concerned. In case of loss of a card or cards, its information is to be communicated to the librarian at once.

14. All the members of a library are required to return the books and other reading materials as the case may be for Physical Verification at the end of a session. After return of these books& reading materials as the case may be, these books could be re-issued to the members concerned.

10. Necessary Information to the Applicants

1. Each and every applicant should fill in the application-form after having gone through minutely the application-form. They should strike away the columns that are not applicable. It is an obligatory to give a black and white statement on being asked for.

2. All the details should be true and based on the authentic certificates.

3. The candidates should enclose the Xerox copies of original certificates, provisional certificates and mark-sheet (full) of the last-exam-duly attested.

4. The photocopies of the certificate (Xerox) should be enclosed. These certificates should be attested either by a gazetted officer or a Head-master of a recognized Higher secondary school, a member of Parliament, a member of Vidhana Sabha/Rajya Sabha or some distinguished personnel. The applicants should fill-in the application-form bilingually in Hindi and English as well and should paste a recent copy of their photo and attach or staple on additional copy of their photos.

5. A post-card is to be enclosed with the application-form. This post-card should clearly exhibit the address of a candidate. This will be reposted to the candidate as an information of registration if his/her candidature for the said course. When there is correspondence regarding for admission to a particular course, then the registration No. is to be written on the card. Otherwise there will be unnecessary delay for the candidate in receiving a prompt reply.

6. A list of all the certificates (xerox copies) should be attached with the application-form.
7. The application should be dispatched to the Registrar, Kendriya Hindi Sansthan, Admission and Exam. Deptt. Agra-282005 either by a Registered letter or by Speed post (Postal Services).
8. Due consideration will be given to the application upto the declared date: 31st March. The Director of the Institute may modify and add new items in the rules of the prospectus as the need arises.

Registrar,

Kendriya Hindi Sansthan,

Agra 282005

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

हिंदी शिक्षण निष्णात, पारंगत एवं प्रवीण में प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र

(प्रवेश आवेदन-पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में भरना अनिवार्य है)

सत्र 2012–13

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएँ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।

प्रवेश आवेदन–पत्र सं. ....

पंजीकृत संख्या ....

प्रवेश संख्या.............................

1. पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश चाहते हैं
2. नाम श्री/कु०/श्रीमती
3. स्थायी पता
   पुलिस स्टेशन सहित
4. पत्र व्यवहार का पूरा पता — मोबाइल नं०
   पुलिस स्टेशन सहित
5. यदि अभ्यर्थी सेवारत है, तो जिला या ब्लाक स्तर के शिक्षाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें
6. (अ) जन्म स्थान (ब) जिला (स) प्रदेश
7. जन्म तिथि (ईस्वी सन् में)
8. वर्ग–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग
9. यदि अभ्यर्थी विकलांग है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करें।
10. माता का नाम
11. पिता/पति का नाम
12. (अ) राष्ट्रीयता (ब) धर्म
13. (अ) स्त्री/पुरुष (ब) विवाहित/अविवाहित (स) मातृभाषा (द) ग्रामीण/शहरी क्षेत्र

*14. शैक्षणिक योग्यताएँ	उत्तीर्णता का वर्ष	संस्था का नाम (बोर्ड/ विश्वविद्यालय)	श्रेणी	प्राप्तांक	पूर्णांक	हिंदी विषय में प्राप्तांक	परीक्षा विषय
(क) मैट्रिक/एस.एस.एल.सी.							
(ख) पी.यू.सी./इंटरमीडिएट							
(ग) बी.ए.							
(घ) बी.एड./एल.टी./पारंगत							
(च) एम.ए.							
(छ) अन्य प्रशिक्षण							
(ज) हिंदी की योग्यता उपाधि का नाम							

15. आवेदक गंभीर, दीर्घ, संक्रामक रोग आदि से मुक्त है तथा पूरी तरह स्वस्थ है। इस आशय का अधिकारिक प्रमाण–पत्र संलग्न है।

....

आवेदक के पूरे हस्ताक्षर

कार्यालय के प्रयोगार्थ

सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र आदि देख लिए गए हैं। इन्हें... पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है।

तारीख..........................	कार्यालय सहायक (प्रवेश)	प्रशासनिक अधिकारी (प्रवेश परीक्षा)	रजिस्ट्रार

प्रवेश दिया जाता है।

तारीख.........................   निदेशक

---

*(अ) **आवेदन–पत्र के साथ संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं की उत्तीर्णता के मूल प्रमाण–पत्र, अस्थाई प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) और अंक सूचियों की अभिप्रमाणित छाया–प्रतियाँ ही संलग्न करें।**

(ब) **प्रवेश के समय आवेदक को सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं के और अन्य आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे।**

(स) **सेवारत अभ्यर्थियों को संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण–पत्र तथा निवृत्ति प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय लाना आवश्यक है।**

(द) **अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी जाति प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।**

(ध) **बैंक ड्राफ्ट का विवरण : ड्राफ्ट संख्या .... धनराशि रु॰.. .**

दिनांक .... बैंक का नाम ....

विशेष : संस्थान वेबसाइट से डाउनलोड किए गए फार्म के साथ रु॰ 200/– (रुपये दो सौ) मात्र का बैंक ड्राफ्ट, ''**सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा**'' के नाम बनवाकर संलग्न करना अनिवार्य है। ड्राफ्ट संलग्न न करने की स्थिति में आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

Central Institute of Hindi, Agra

Application for entrance exam in Hindi Shikshan Nishnat, Parangat and Praveen

Year - 2012-13

Paste Passport size Photograph attested by Gazetted Officer

ADMISSION FORM...................................
Regd. No. ....
Admis. No. ....

1. Name of the course in which admission is sought
2. Name of applicant (In Block Letter's) Mr./Mrs./Km.
3. Permanent Address with Police Station
4. Correspondence Address in full with Police Station — Mobile No.
5. If the Candidate is in service, he must attach a No objection Certificate from District or Block Level Education Officer
6. (i) Place of Birth (ii) District (iii) State
7. Date of Birth
8. Category—Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC/General
9. If the candidate is physically Handicapped, He/she must attach a certificate issued by a compitent authority.
10. Name of Mother
11. Name of Father/Husband
12. (i) Nationality (ii) Religion
13. (i) Female/Male (ii) Married/Unmarried (iii) Mother tongue (iv) Rural/Urban

*14. Educational Qualification	Year of Passing	Name of Institution (Board/University)	Division	Marks Secured	Total Marks	Marks obtained in Hindi	Subjects Offered
(i) Matric/S.S.L.C.							
(ii) P.U.C./Intermediate							
(iii) B.A.							
(iv) B.Ed./L.T./Parangat							
(v) M.A.							
(vi) Hindi Qualification Name							

15. The applicant is not affected with the disease of serious, prolonged chronic nature and fully healthy. Certificate to this effect is enclosed issued by the Authorised/Competent authority.

....
Signature of the Candidate

For office Use only

All essential certificates etc. have been examined. He/she can be admitted to ....

Date.......	Assistant Admission	Administrative-officer (Admission and Exam.)	Registrar

---

Admitted

Date   Director

---

*(i) Certified true copies of only those certificates and marksheets must be attached to this application which are prescribed for the course.

(ii) The applicant must produce all the origional certificates at the time of admission (Education and others).

(iii) In Service candidates Experience Certificate and relieving certificate from the Principal of the Institution, where serving, are to be produced at the time of admission.

(iv) Candidates belonging to the SC, ST & OBC Category must attach Certified true copy of the Caste Certificate.

(v) Details of Bank Draft Draft No.................................... Amount (Rs.).................................

Dated.. Name of Bank................................

Note : Application Forms download from the Sansthan's website must contain a Bank Draft Rs. 200/- (Rs. Two Hundred) only, in favour of **'Secretary Kendriya Hindi Shikshan Mandal, Agra'**, Application forms found without the bank draft will not be considered anyway.

केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा द्वारा संचालित मानव संसाधन विकास मंत्रालय,

भारत सरकार की स्वायत्तशासी संस्था

हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा–282005 (उ० प्र०)

(हिंदी शिक्षण निष्णात/ पारंगत / प्रवीण)

प्रवेश परीक्षा–पत्र (Admit Card) (सत्र : 2012–13)

Roll No..............

अभ्यर्थी अपना फोटो चिपकाएँ स्टेपिल न करें

1. प्रवेश परीक्षा केंद्र..
2. अभ्यर्थी का नाम (हिंदी में) ....

   (अंग्रेजी में) बडे अक्षरों में..
3. पिता / पति का नाम..
4. माता का नाम..
5. अभ्यर्थी का पत्र–व्यवहार का पूरा पता (पिन कोड सहित)..

   ....

   ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

5. प्रवेश–परीक्षा का प्रश्न पत्र

   खंड (क) सामान्य ज्ञान – 25 अंक

   खंड (ख) शिक्षण अभिरुचि परीक्षण – 25 अंक

   खंड (ग) हिंदी भाषा एवं साहित्य – 25 अंक

   खंड (घ) हिंदी दक्षता परीक्षण – 25 अंक

(प्रवेश–परीक्षा कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा)

अभ्यर्थी का अनुक्रमांक..

परीक्षा केंद्र का नाम (पूरा पता सहित)..

परीक्षा तिथि–..

परीक्षा समय–..

नोट–अभ्यर्थी इस प्रवेश परीक्षा–पत्र को भरकर प्रवेश आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करके 31 मार्च तक भेजें।

(ण्चंद्रकांत त्रिपाठी)

कुलसचिव

आवश्यक निर्देश–

1. क्रम संख्या 1 से 5 तक अभ्यर्थी को स्वयं भरने हैं।
2. इस प्रवेश–पत्र को परीक्षा केंद्र पर अवश्य लेकर आएँ अन्यथा परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा।
3. प्रवेश–पत्र में उल्लिखित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा हेतु उपस्थित हों।
4. प्रवेश परीक्षा संस्थान के हैदराबाद/गुवाहाटी/मैसूर/भुवनेश्वर/अहमदाबाद केंद्रों पर आयोजित होगी।